राजस्थान विधान सभा

दशम् बैठक, मंगलवार, दिनाङ्क २३ अक्टूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं २.१५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १७१

ठिकाना साखून (त० दूदू) के ठाकुर के अवसान के पश्चात् उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी

महाराज श्री शिवदानसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या ठिकाना साखून, तहसील दूदू, डिस्ट्रिक्ट जयपुर के कोई ठाकुर मौजूद हैं ? अगर नहीं, तो कब मुकर्रर किये जायेंगे ?

(ख) क्या उपरोक्त ठिकाने का पुनर्ग्रहण कर लिया गया है ? अगर हां, तो इसका मुआवजा किसको मिलेगा ?

(ग) क्या उपरोक्त ठिकाने में कोई विधवा ठकुरानियें मौजूद हैं ? अगर हां, तो इनके भरण-पोषण की क्या व्यवस्था है ?

(घ) क्या उपरोक्त ठिकाने के स्वर्गीय ठाकुर ने अपने पीछे कोई संपत्ति छोड़ी है ? अगर हां, तो नकद, जेवर, केश, सर्टिफिकेट आदि २ किस २ शक्ल में व कितनी ?

(ङ) क्या ठिकाना साखून की हवेली शहर जयपुर में स्थित है ? अगर हां, तो अभी इस पर किसका स्वामित्व है ?

(च) क्या मरहूम ठाकुर के पास कोई ट्रेक्टर था ? अगर हां, तो वह अब किसके अधिकार में है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) ठिकाना साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर पर इस समय कोई ठाकुर मुकर्रर नहीं है। मातमी का केस तय होने पर ठाकुर मुकर्रर होगा ।

(ख) ठिकाना साखून पुनर्ग्रहीत कर लिया गया है और इसका मुआवजा जो वारिस मुकर्रर होगा उसको मिलेगा ।

Page No 2

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ग) इस ठिकाने में एक दादी राणावतजी व २ माजी (चांपावतजी व मेडताणीजी) हैं। इनके अलहदा २ हवाले हैं और हर एक को ११२ रु० माहवार मुकर्रर किये गये हैं, जो एक साल के दे भी दिये गये हैं।

(घ) स्वर्गीय ठाकुर नारायणसिंहजी की कोई सम्पत्ति (याने नकद जेवर व कैश सर्टीफिकेट) कोर्ट आफ वार्ड्स के चार्ज में नहीं आई।

(ङ) इस ठिकाने की एक छोटी सी हवेली शहर जयपुर में है जो ठिकाने के स्वामित्व में है। हर दो माजी व दादी जब कभी जयपुर आती हैं तो इसी हवेली में ठहरती हैं।

(च) स्वर्गीय ठाकुर का कोई ट्रेक्टर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के चार्ज में नहीं आया।

श्री भैरूंसिंह—इन ठाकुर साहब की मृत्यु के कितने दिन बाद इस जागीर पर अधिकार किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या १७२

किशनगढ रैनवाल (जि० जयपुर) के हाई स्कूल के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री रामावतार का मिडिल ऑफ सेशन में स्थानान्तरण

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) किशनगढ़ रैनवाल (जिला जयपुर) हाई स्कूल के भूतपूर्व प्रधानाध्यामक श्री रामावतार जी का मिडिल ऑफ दी सेशन मे इस हाई स्कूल से स्थानान्तर क्यों किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता ने उनके स्थानान्तरण के कारण काफी असंतोष प्रकट करते हुए मांग की थी कि यह आज्ञा रद्द की जावे ?

(ग) क्या यह सही है कि किशनगढ़ रैनवाल की ग्राम पंचायत के चुनाव के तीन दिन पहिले से उक्त अध्यापक को जयपुर में ही रुके रहने की आज्ञा दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-मंत्राणी)—(क) कुछ नई नियुक्तियों के संबंध में यह स्थानान्तरण किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

Page No 3

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि उन दिनों रैनवाल पंचायत का चुनाव किशनगढ़ में हो रहा था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—हो सकता है। लेकिन उसकी तारीख हमारे पास नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक को यहां पर हिरासत में पंचायत के चुनाव तक रखा गया था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि उप-मंत्राणी ने टेलीफोन द्वारा आज्ञा जारी की थी कि इस अध्यापक का स्थानान्तरण कर दिया जाए ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—अगर वह वहां पर रखा गया होता तो मैं कह सकता हूं कि उसका उपयोग किया जा सकता था।

श्री भैरूं सिंह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस अध्यापक का स्थानान्तरण इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने किया या उप-मंत्राणी ने खुद ने किया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने कोई हुक्म नहीं दिया, इन्सपेक्टर ने दिया होगा।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर हैडमास्टर का स्थानान्तरण करने के लिये प्रोपर ऑथोरिटी नहीं है ?

श्रीमती कमलाकुमारी—जो कोई भी कोम्पीटेन्ट ऑथोरिटी होगी उसने किया होगा।

श्री भैरूं सिंह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह आपकी आज्ञा से हुआ ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—डिप्टी डाइरेक्टर या डाइरेक्टर जो कोई भी हो, उसने किया होगा।

श्री भैरूं सिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह स्थानान्तरण आपके आदेश से हुआ था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैं जवाब दे चुकी हूं, आपके समझ में नहीं आया।

श्री भैरूं सिंह—मैं फिर पूछना चाहता हूं कि उसका ट्रान्सफर आपके आदेश से हुआ या नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी नहीं।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि उप-मंत्राणी ने रैनवाल की पब्लिक के सामने यह कहा था कि हैड मास्टर का तीन दिन के अन्दर अन्दर स्थानान्तरण कर दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष—हाउस में जो बात कही जाती है वह ज्यादा ऑथेन्टिक होती है। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७३

जोधपुर के समीप सलावास हेंगर्स के सीमेंट कोन्क्रीट फ्लोर्स की नीलामी

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Revenue Minister be pleased to state :—

(*a*) Did the Government auction the Cement concrete floors of the Salawas Hangers near Jodhpur ? If so, at what value was the auction finalised ?

(*b*) Has the order regarding this auction been stayed ? If so, on what grounds ?

(*c*) Has the Government got that property valued by the P.W.D. ? If so, what is the estimated value of that property ?

(*d*) Was the property in question under proper possession of the State Government ? If so, since when ?

(*e*) Has any person deposited a cheque of Rs. 15,000/- with the Collector in respect of this very property ? If so, on what basis was he required to deposit this amount ?

(*f*) Has the Government conducted any enquiry into the whole case ? If so, what are its findings and what action has the Government taken in this case ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(*a*) Yes. At Rs. 951/-.

(*b*) The auction was cancelled as proper procedure was not followed.

(*c*) Yes. It will not be in the public interest to disclose the estimate at this stage when the matter is under investigation.

(*d*) The matter is in correspondence with the Government of India, Ministry of Defence.

(*e*) One person has offered a cheque but it was returned. He was not required to deposit the cheque. The exact amount of the cheque is not known.

(*f*) The matter is under investigation.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(डी) का क्या उत्तर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—The matter is in correspondence with the Government of India, Ministry of Defence.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रोपर्टी के सिलसिले में कमिश्नर जोधपुर के दस्तखतों से इसको टेक ओवर करने के सर्टिफिकेट गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को भेजे जा चुके हैं और उस संबंध में गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया की ओर से राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को उत्तर भी पहुंच चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I have not followed, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रोपर्टी को टेक ओवर करने के सर्टिफिकेट्स कमिश्नर जोधपुर के हस्ताक्षर से भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं और इस आशय का एक पत्र भी राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास भारत सरकार द्वारा आ चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है इस समय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने (ई) के उत्तर में बताया कि किसी व्यक्ति ने १५ हजार का चेक कलेक्टर जोधपुर के दफ्तर में जमा कराया था । कलेक्टर ने किस आधार पर वह रकम मन्जूर की ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किसी व्यक्ति ने १५ हजार के करीब का चेक पेश किया था कलेक्टर के दफ्तर में उस प्रोपर्टी की कीमत के बदले में, जिसे वह लेने जा रहा था, किन्तु वह चेक वापिस लौटा दिया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या वह चेक कलेक्टर जोधपुर के दफ्तर में अभी भी मौजूद है या संबंधित व्यक्ति को वापिस लौटा दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लौटाया नहीं गया बल्कि उस प्रोपर्टी को बेचने के लिये इन्कार कर दिया गया कि इस तरह से बेची नहीं जा सकती ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कलेक्टर जोधपुर ने वह चेक किस बिनाह पर मन्जूर किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मन्जूर नहीं किया गया, बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दफ्तर में पेश किया गया तो रेकर्ड में किस आधार पर लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कोई भी कागज जो सरकारी दफ्तर में पेश होता है रेकर्ड में शामिल कर लिया जाता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उस, चेक के साथ २ संबंधित व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन भी दी थी कि यह मेरे ऑक्शन नाम करने के सिलसिले में यह चेक पेश कर रहा हूं ?

Page No 6

श्री दामोदरलाल व्यास—क्या दरख्वास्त दी, यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसी एप्लीकेशन पर कलेक्टर जोधपुर ने रेवेन्यू मिनिस्टर राजस्थान को रेफरेन्स किया था कि क्या इस प्रकार यह व्यक्ति कहता है, इसको आज्ञा प्रदान की जाय या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—रेफरेन्स जरूर हुआ था, यहां से कोई आज्ञा नहीं दी गई ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि उस व्यक्ति ने बैंक को यह पत्र लिखकर भेजा है कि मेरा ऐसा एक चेक खो गया है, अगर कोई प्रेजेन्ट करे तो टेक ओवर नहीं करना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वेल्युएशन के सिलसिले में बताया गया कि यह पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं है इसलिये बताया नहीं जाता, तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वेल्युएशन किस अधिकारी द्वारा कराया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका उत्तर मैं आपके सवाल के जवाब में दे चुका हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कब करवाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी तारीख इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ऑक्शन कन्फर्म करने के पहले वेल्युएशन नहीं करवाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऑक्शन कन्फर्म किस अधिकारी द्वारा

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ऑक्शन कन्फर्म करने के पहले ऐसा एस्टीमेट नहीं करवाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो ऑक्शन किया गया उसको केन्सल करवा दिया गया क्योंकि उसमें प्रोपर प्रोसीजर फोलो नहीं किया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि एडीश्नल कलेक्टर ने ऑक्शन के कनफर्म की आज्ञा दे दी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एडीश्नल कलेक्टर को यह अधिकार नहीं था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ऑक्शन की आज्ञा प्रदान की थी उसके पहले एस्टीमेट करवाया गया था ?

Page No 7

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं करवाया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस संबंध में जब सरकार ने जांच शुरू की उस जांच के सिलसिले में किसी को चार्जशीट दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किसको ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसीलदार को ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि तहसीलदार को अभी तक चार्जशीट नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो आप इत्तला दे रहे हैं, चार्जशीट के आर्डर्स हो चुके हैं और वे ससपेन्शन में हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे सस्पेन्शन में हैं यह बात सही है लेकिन मैं सस्पेन्शन के लिये नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, क्या उसको चार्जशीट दे दी गई या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—स्टेटमेंट ऑफ एलीगेशन्स ले लिये गये हैं, उसके बाद चार्जशीट देने का सवाल ही रहता है जो दे दी गई होगी । हालांकि अध्यक्ष महोदय, इतनी बातें डिस्क्लोज नहीं करनी थी फिर भी मैंने कर दीं । माननीय सदस्य को संतोष होना चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस मामले में कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ज्यों इन्वेस्टीगेशन पूरा हुआ, निर्णय हो जायगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—संभावित समय की अवधि तो बता दीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास—यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मामला कब से विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—विचाराधीन बिल्कुल नहीं बल्कि कमिश्नर द्वारा इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कमिश्नर को इन्क्वायरी की आज्ञा कब प्रदान की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब यह बात सरकार के ध्यान में आयी तब ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह सही है कि सात महीने तक इस सिलसिले में कोई इन्क्वायरी की आज्ञा प्रदान नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो आप सूचना दे रहे हैं ।

Page No 8

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सात महीने तक कोई भी इन्क्वायरी नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—That is wrong.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्ति को इन्क्वायरी ओफिसर की तौर पर मुकर्रर किया है, उन्होंने इसकी जांच के लिये एक भी स्टेप नहीं लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत कुछ स्टेप ले लिये हैं और एन्क्वायरी की इन्टेरिम रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को भेज चुके हैं ।

प्रश्न संख्या १७४

किशनगढ अराई, रूपनगर तहसील के जनवरी १९५६ के पश्चात् किसानों को काश्त के लिये दी गई भूमि

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) किशनगढ, अराई और रूपनगर तहसील में ऐसे कितने किसान हैं जिनको १ जनवरी, १९५६ के बाद नई भूमि काश्त के लिये दी गई है ?

(ख) उक्त किसानों के पास पहिले से कितनी २ भूमि काश्त के लिये मोजूद है ?

(ग) नई भूमि काश्त के लिये किस कानून के अन्तर्गत दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) १ जनवरी, १९५६ के बाद नई भूमि जिन किसानों को दी गई उसकी सूची तहसील वाइज इस प्रकार है :—

रूपनगर तहसील में कोई नहीं ।

किशनगढ तहसील के लिये, जब कि यह सवाल असेम्बली सेक्रेटेरियेट से कार्यालय में आया तब इसके बारे में नहीं पूछा गया था, इसलिये इसकी सूचना प्राप्त नहीं की गई ।

तहसील अराई की सूची इस प्रकार है ····

(श्री चांदमल से) will you like to have a copy of this ?

श्री चांदमल मेहता—इसकी सूची मुझे दे दीजिये ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

क्या यह सही है कि रूपनगर तहसील में किसी भी किसान को भूमि नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरी सूचना है कि किसी को नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—मैं आपकी सूचना को चेलेन्ज करता हूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—चेलेन्ज करने से क्या मतलब, आप कोई उदाहरण दीजिये या लिस्ट मुझे दीजिये ताकि मैं जानकारी कर आपको बता सकूं ।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, छोटी लिस्ट ही नहीं बल्कि बहुत बडी लिस्ट इस बारे में दे सकता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—चेलेन्ज करने से काम नहीं चलेगा, लिस्ट आप दीजिये तभी जांच हो सकती है ।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि रूपनगर तहसील में किसी को जमीन नहीं दी गई, यह बिल्कुल वाकेआत से विपरीत है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप लिस्ट दीजिये ना ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लिस्ट देने के बाद अगर किसी की गलत बयानी साबित हो तो उसके लिये क्या कार्यवाही होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—गलत सूचना देने वाले को सजा होगी ।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ तहसील की जो सूची दी गई वह बिल्कुल अपूर्ण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किशनगढ तहसील की कोई सूची नहीं दी गई ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह समझा जाय कि किशनगढ़ तहसील में कोई जमीन काश्त के लिये नहीं बताई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो सवाल पहले डिपार्टमेन्ट में पहुंचा उसमें किशनगढ़ तहसील के लिये कुछ नहीं पूछा गया था, इसलिये उसकी सूचना एकत्रित नहीं की गई ।

श्री चांदमल मेहता—जो भूमि अराई तहसील में दी गई वह, जो भूमि देने के बारे में सर्कुलर निकला है, उसके खिलाफ दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसीलिये तो तहसीलदार से खिलाफ कार्यवाही करने को कलेक्टर को आदेश दिये गये हैं ।

श्री चांदमल मेहता—यह आदेश कब दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस प्रश्न के आने के बाद सूचना प्राप्त की गई, तब दिये गये ।

Page No 10

श्री चांदमल मेहता—जिन लोगों को कायदे के खिलाफ भूमि काश्त के लिये दी गई वह भूमि वापस लेकर क्या भूमिहीन किसानों को दी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इन्क्वायरी के लिये कलेक्टर को लिख दिया गया, उसी के बाद यह मालूम हो सकेगा कि भूमि वापिस ली जा सकती है या नहीं ।

प्रश्न संख्या १७५.

ग्राम सोप (त० उनियारा) के बाबाजी का उनियारा सिविल होस्पिटल में देहावसान व अन्तिम संस्कार के कन्ट्रीब्यूशन की रकम वसूली

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा, ग्राम सोप, का कोई बाबाजी उनियारा स्थित सिविल होस्पिटल में करीब दो माह पहले जेर इलाज था ?

(ख) यदि हां, तो वह कौन था और उसका क्या नाम था ? वह कितने दिन उपरोक्त होस्पिटल में जेर इलाज रहा ?

(ग) क्या यह सही है कि उसकी वहां होस्पिटल में मृत्यु हो गई थी ?

(घ) उसके शव को कहां और किस अवस्था में रखा गया और मृत बाबाजी के शिष्य को कितने दिन बाद दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां ।

(ख) इस ग्राम के बाबा रामदास रोगी की हैसियत से १० दिन स्थानीय अस्पताल में जेर इलाज रहे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—वह कितने दिन जेर इलाज रहा ।

श्री अध्यक्ष—दस दिन, बतलाया न ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—इसकी मृत्यु अस्पताल में हुई या बाहर हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी सूचना के अनुसार वह आपकी दूकान में हुई है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—किसकी दुकान में हुई ?

Page No 11

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी सूचना है कि वह रावराजा की दुकान में हुई।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या रावराजा दुकान मांडते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—किराये से दी हुई है।

श्री सरदारसिंह—मैं चेलेन्ज देता हूं इसको और कहता हूं कि इसकी मृत्यु अस्पताल में हुई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उस अस्पताल में तो एडमिट ही नहीं हुए।

श्री सरदारसिंह—जब वह वहां दाखिल ही नहीं हुआ तो फिर उसका इलाज डाक्टर ने कहां किया ? क्या दुकान में जाकर किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह शफाखाने में इलाज कराने आता था और शफाखाने के सामने ही रावराजा उणियरा की दुकान में रहकर इलाज कराया और वहीं उसकी मृत्यु हुई।

श्री सरदारसिंह—वह जो मृत्यु हुई तो उसका शव उसके चेले को कितने रोज बाद दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—देने न देने का सावल ही पैदा नहीं होता। हमारे पास तो आउट डोर पेशेन्ट की तरह से जेर इलाज था।

श्री सरदारसिंह—इसकी क्या पुलिस में इत्तला की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हमारे यहां तो आउटडोर पेशेन्ट था। दुकान में मृत्यु हो गई और चेला आया और शव को ले गया।

श्री अध्यक्ष—अब झगडा क्या है ?

श्री सरदारसिंह—वह इन्डोर पेशेन्ट अस्पताल में जेर इलाज था, उसको वहां से निकाल कर दुकान में डाक्टर ने बन्द किया और वहां वह मर गया। फिर उसके चेले से डाक्टर ने ६०) रु० मांगे, क्या यह सच है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात गलत है।

श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि इसको ६०) न देने पर इसकी लाश को ताले में बन्द कर दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा मालूम होता है कि मकान मालिक ने बन्द कर दिया होगा।

श्री सरदारसिंह—क्या यह सच है कि जब इसका चेला रामनारायणलाल कलाल को लेकर आया और उससे जमानत दिलाई तब उसकी लाश को चेले के हवाले किया गया ?

Page No 12

श्री अध्यक्ष—This is an allegation against the Medical Officer. The question is not properly worded but this is serious allegation, and such counter charge against a member by the minister should not be levelled.

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्ष महोदय, He was not an indoor patient.

श्री अध्यक्ष—But the circumstances stated are that after the death in the hospital he was removed to the shop and there he was locked up for extracting a sum of rupees sixty.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—He was not an indoor patient.

आखिर आउट डोर पेशेन्ट और इन्डोर पेशेन्ट का कार्ड बनता है, रिकार्ड रहता है ।

श्री सरदारसिंह—मैं अर्ज करता हू यह सही वाकया है, आप तहकीकात कराइये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं जांच कराकर ही, जो जानकारी मिली है, उस पर कह रहा हू ।

श्री अध्यक्ष—ये सारी चीजें आपने अपने सवाल में क्यों नहीं लिखीं ? यों तो रोगी मरते रहते हैं और ठीक भी होते रहते हैं अस्पतालों में ।

श्री सरदारसिंह—आज तो यह हाल है कि इन अस्पतालों में रोगियों का कोई धणी-धोरी ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—पर यह सब तो आपके इस सवाल से जाहिर नहीं होता ।

श्री सरदारसिंह—आप फिर जांच करवा लीजिये साहब ।

श्री अध्यक्ष—आप प्रोपरली वर्डेड सवाल देंगे तो ठीक रहेगा ।

श्री भैरूंसिंह—माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि शायद रावराजा साहब ने बन्द किया है, यह कहां तक सही है ? शायद दुकान में था और दुकान में किराये का झगड़ा हुआ, यह कहां तक सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने ऐसा नहीं कहा। बन्द कर दिया, यह नहीं कहा। मेरा कहना है कि दुकान में मरा, वहां....

श्री भैरूंसिंह—पहले यह कहा कि ऐसा मालूम होता है..

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I don't know.

Page No 13

श्री सरदारसिंह—या तो आप ये शब्द वापिस लीजिये या साबित करिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं अब भी कहता हूं कि मेरी इन्फोर्मेशन है कि दुकान में मरा है। रावराजाजी की दुकान थी और वह किराये पर थी और वहां से लाश को चेला ले गया है ।

श्री सरदारसिंह—मैं चेलेन्ज देता हूं कि आप किराया देना साबित करिये ।

श्री अध्यक्ष—इसमें नाराज होने की क्या बात है ? यों ही रख दिया होगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—All the reply is 'झूठा'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं दुबारा जांच कराऊंगा, आप अगर कहते हैं तो ।

प्रश्न संख्या १७६

जयपुर डिविजन में जिला बोर्ड एवं जिला टोंक में जिला बोर्ड की शेष रकम

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि जयपुर डिविजन में जिला बोर्ड से कन्ट्रीब्यूशन की रकम वसूल हुई है ?

(ख) यदि हां, तो जिला टोंक में तहसीलवार कितनी २ रकम बाकी है ?

(ग) क्या इसके विरुद्ध न्यायालय में कोई रिट पेश हुए हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जयपुर डिविजन में जिला बोर्ड से कोई कन्ट्रीब्यूशन वसूल नहीं किया जाता है परन्तु जिला बोर्ड द्वारा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट, १९५४ के प्रभाव में आने से पूर्व जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट, १९४७ की धारा ३४ (१) के अन्तर्गत अतियादार राज जिनकी आमदनी १०,००० रुपये से अधिक थी, उनसे उनके काश्तकारों द्वारा काबिल अदा सस की रकमों के जोड़ के बराबर कन्ट्रीब्यूशन के रूप में वसूल की जाती थी ।

(ख) जिला टोंक में तहसीलवार कन्ट्रीब्यूशन व सेंस की बकाया की रकम निम्न प्रकार हैं:—

उनियारा १,३४,२२५ रुपया २ आना । २१,९५९ रु० ४ आ० ३ पाई सेंस के और १,१२,२२५ रु० १३ आना ९ पाई कन्ट्रीब्यूशन के ।

टोडा १६,७१८)
मालपुरा १४,६०१)
निवाई २०,४८५)
दूणी १,०६,१८९)

(ग) हां ।

Page No 14

रावराजा श्री सरदारसिंह—यह जो आपने उणियारा के लिये लिखा कि एक लाख और कुछ रुपया है तो यह कन्ट्रीब्यूशन ठिकाना उणियारा खालसा का है या इसमें जागीरदारी इलाके का भी शामिल है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप ज्यादा जानते होंगे बनिस्पत इनके ।

श्री सरदारसिंह—क्या इस मामले में हाई कोर्ट में कोई रिट हो रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां, मैंने कहा न ।

श्री सरदारसिंह—क्या इसके उपलक्ष में रावराजा की इन्स्टालमेंट रोकी गई है ?

श्री अध्यक्ष—यह जानकारी बाद में ले लीजिये, आफिस में ही ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं बता दूंगा बाद में डिटेल में ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हरिशंकर ।

प्रश्न संख्या १७७

सांगानेर, जिला जयपुर, में चर्म उद्योग के लिये चिल्ड्रन्स पार्क वाली जमीन एक व्यक्ति को एक आना प्रति गज की दर से देना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या मृतक पशुओं की खाल निकालने, उनका चमडा रंगने, पकाने एवं हड्डी पीसने के लिये सांगानेर, जिला जयपुर में चर्म उद्योग के नाम से बहुत सारी जमीन एक प्रमुख व्यक्ति को एक आना गज की रेट पर दी गई है ? यदि हां, तो किसे ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जो जमीन इस समय चर्म उद्योग के लिये दी गई है वह पहले से ही चिल्ड्रन पार्क के लिये दे दी गई थी और उसका उद्घाटन तत्कालीन कलेक्टर जयपुर द्वारा किया गया था ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त कारखाने के लिये रुपये ३५,००० अब तक खादी बोर्ड की तरफ से दिये जा चुके हैं ?

(घ) उपरोक्त रुपये से अब तक किस किस जगह तथा किस किस काम के कारखाने खोले जा चुके हैं और उनमें कितने आदमी किस किस जाति के काम कर रहे हैं ?

(ङ) यदि पूरे कारखाने अभी तक नहीं खोले गये तो ये कब तक खोल दिये जायेंगे ?

Page No 15

श्री भोगीलाल पंड्या (वाणिज्य मन्त्री)--(क) ८० रु० में कुछ जमीन ग्रामोत्थान नामक संस्था को दी गई है।

(ख) जानकारी की जा रही है ।

(ग) ग्रामोत्थान नामक संस्था को जिसके अध्यक्ष श्री रामचन्द्र बेनीवाल हैं, उनको इस काम के लिये राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा २३,७२०) दिये गये हैं जिसमें १०,५००) रुपये सहायता व १३,२२०) रुपये ऋण रूप में हैं ।

(घ) चूंकि सांगानेर में राजस्थान खादी बोर्ड की ओर से एक ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है इसलिये उक्त संस्था अन्य स्थान पर कारखाने खोलने की व्यवस्था कर रही है। अतः काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

(ङ) स्थान की व्यवस्था होने पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ हो जावेगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या उक्त संस्था रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, के द्वारा रजिस्टर्ड हो चुकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जी हां ।

श्री हरिशंकर--यह काम रामचन्द्रजी ने कब से सम्भाला ?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह तो निश्चित तारीख मुझे मालूम नहीं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--इसके कौन २ सदस्य हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--

श्री रामचन्द्र बेनीवाल	अध्यक्ष
श्री भैरूंलाल भारद्वाज	सदस्य
श्री सुआलाल चौधरी	,,
श्री कृष्णचन्द्र माथुर	,,
श्री राधेश्याम शर्मा	,,
श्री गुलाबचन्द (हरिजन)	,,
श्री रामस्वरूप चन्देल	मन्त्री

श्री हरिशंकर--इनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री पंड्या--मैंने बताया न कि एक है ।

Page No 16

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि समिति के पास वह जमीन नहीं रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, यह तो कह दिया गया है कि दूसरी जगह जमीन तलाश करें और वहां काम शुरू करें ।

श्री भैरूंसिंह—राजस्थान खादी बोर्ड के पास यह सूचना कब आई कि समिति के पास जमीन नहीं रही ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है, आप कहेंगे तो मालूम करके बता सकूंगा ।

श्री भैरूंसिंह—जिस भूमि पर चर्म उद्योग का काम होना था वहां पर जब नहीं हुआ तो उधार दी गई रकम क्यों उनके पास छोड़ी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दूसरी जगह काम करेंगे न । काम के लिये ही रकम दी गई थी, जमीन के लिये नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On what terms and conditions was the loan granted ?

श्री भोगीलाल पंड्या—लोन दिया गया था भिन्न २ कामों के लिये; चमडा रगाई के लिये मशीन के लिये और चालू पूंजी के लिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस कार्य में मशीनरी का उल्लेख है तो क्या यह भी शर्त थी कि यह मशीनरी सरकार के पास गिरवी के रूप में रक्खी जावेगी ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष—प्लेस की जावेगी क्या यह मशीन सरकार को ?

श्री भोगीलाल पंड्या—खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या एक भी पैसा मशीनरी के लिये खर्च किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—डाइजक्टर तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से दिया गया है और शेष जब दूसरी जगह काम करना शुरू करेंगे तो वे खरीदेंगे ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस संस्था ने आज तक कोई काम नहीं किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि जब दूसरी जगह जमीन मिलेगी तो काम शुरू करेगी ।

श्री भैरूंसिंह—यह रुपया किस जगह रक्खा हुआ है ?

Page No 17

श्री भोगीलाल पंड्या--बैंक में ।

श्री कंवरलाल जैलिया--क्या यह माना जाय कि राजस्थान सरकार ने, इस विषय का विशेषज्ञ, सिर्फ एक आदमी जानकार है उसको देखते हुए ही इतनी रकम दी, जब कि सात आदमी उसको जानने वाले नहीं हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह आदमियों को कर्ज नहीं दिया गया है बल्कि जो २ काम बतलाये गये हैं, उन कामों के लिये दिया गया है इसलिये जो काम शुरू होंगे वे ये लोग करेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह सोसाइटी कब से काम कर रही है और कब से रजिस्टर हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं अपने उत्तर में बता चुका हू कि काम अभी शुरू नहीं हुआ है और रजिस्टर कब की गई इसकी तारीख मेरे पास अभी नहीं है लेकिन रजिस्टर जरूर कराई गई है । यदि आप चाहेंगे तो जानकारी करके तारीख बतलाई जा सकती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या इस सोसाइटी ने कर्जा लेने से पहले किसी ऐसे रूप में चर्म उद्योग का कार्य किया है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या--सोसाइटी चर्म उद्योग का काम करेगी। सोसाइटी के व्यक्तियों ने चर्म उद्योग का काम नहीं किया लेकिन सोसाइटी जिनके द्वारा काम करायेगी वह ऐसे लोगों से करायेगी जो कि चर्म उद्योग जानते हैं ।

श्री भैरूं सिंह--श्री रामचन्द्र बेनीवाल चर्म उद्योग के काम को कब से जानते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि यह कर्जा देने के तीन दिन पहले ही यह सोसाइटी रजिस्टर हुई है ।

श्री भोगीलाल पंड्या--हो सकता है, मुझे तारीख मालूम नहीं है किन्तु ऐसा भी हो सकता है।

श्री मानसिंह महार--इतना जल्दी कर्जा कैसे दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह तो सूचना दी जा रही है । तीन दिन में दिया गया है या तीन महीने में, मुझे मालूम नहीं है । मालूम करके बतलाया जा सकता है कि कब रजिस्टर हुई और कर्जा कब दिया और कितने दिनों का उनमें फासला था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इनकी एप्लीकेशन के ऊपर क्या जांच की गई ? जांच के नतीजे में क्या पाया गया कि यह बोनाफाइड सोसाइटी है कि नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के नियम हैं जो कि सारे भारत के लिये एक से हैं । उन नियमों के अन्दर जो कोई भी कर्जा मांगता है या सहायता मांगता है उनको दिया जाता है ।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि इस चर्म उद्योग समिति में कोई सदस्य चर्म उद्योग के मामले में एक्सपर्ट नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने आपको स्वयं ही बतलाया था कि यह काम जो है वह चमड़े के अनुभवी लोगों से करायेंगे । इस संस्था को रजिस्टर्ड हुए साल डेढ साल हो चुका है ।

श्री भैरूंसिंह--सदस्यों में कोई एक्सपर्ट है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने आपको बताया वह सही है ।

श्री जगतसिंह झाला--क्या श्री रामचन्द्र बेनीवाल किसी उप-मंत्री महोदय से संबंधित हैं या क्या ?

(हंसी)

श्री भोगीलाल पंड्या--जी हां ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि लोन के मन्जूर होने से पहले जो आवश्यक जांच होती है वह कराई गई या नहीं और जांच के नतीजे में क्या पाया गया सोसाइटी के बारे में ?

श्री भोगीलाल पंड्या--खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के फार्म छपे हुए हैं, उनके नियम बने हुए हैं। उनकी पूर्ति होती है तो सिफारिश की जाती है । वह यहां से बंबई जाते हैं और वहां से योजना मन्जूर होकर आती है, तब रुपया दिया जाता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सिफारिश करने से पहले सोसाइटी के बारे में जांच की गई और उस जांच के लिये किसने आर्डर दिया और क्या रहा ? Was enquiry ever made before forwarding or recommending the case ?

श्री भोगीलाल पंड्या--सिफारिश इसलिये की जाती है कि यहां पर जो उद्योग पिछड़े हुए हैं उनमें उन्नति हो ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेरे प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि ऐसी कोई इन्क्वायरी की गई या नहीं, सिफारिश करने से पहले और यदि की गई, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री भोगीलाल पंड्या--इसके जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार रुपया दिया गया है, फिर एन्क्वायरी किस बात की ? अगर आप तैयार हों तो आज भी बता सकता हूं कि उनका फार्म सही है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सोसाइटी बोनाफाइड है, इस बात की एन्क्वायरी की या नहीं ? सोसाइटी फर्जी कर्जा लेने के लिये तो नहीं बनाई गई, इस बात की एन्क्वायरी की गई है क्या ? आज तक उसने क्या काम किया है, इस बात की एन्क्वायरी की गई है क्या ? यह सर्टिफिकेट सर्टीफाइंग ऑफिसर को देना पडता है कि it is bonafide society, doing this work; यह सर्टिफिकेट किसने दिया और किस बिनाह पर दिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह संस्था बहुउद्देशीय सेवा के लिये बनी हुई है और बहुत सी सेवाओं में वह भी एक अंग है चमड़े का काम। डेढ़साल से यह संस्था रजिस्टर्ड हुई है और कर्जा बाद में मिला है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--क्या यह सही है कि इस रुपये से जो खडी खोदने की मशीन मंगाई गई है।

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं पहले उत्तर दे चुका हूं कि उनको मशीन दी गई है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--मशीन कहां रखी है जब कि जगह ही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--माननीय अध्यक्ष, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष --आप बैठे रहे जब कि आपका राईट था। Order please ! Next.

प्रश्न संख्या १८८

इस वर्ष तहसील दांता रामगढ (सीकर) के स्थान पर तहसील लक्ष्मणगढ में विकास खण्ड का खोलना तथा उसमें सरकार द्वारा नामजद सदस्यों में कांग्रेस का बहुमत

श्री भैरूंसिंह (१६)--क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:--

(क) इस वर्ष माह नवम्बर में खोले जाने वाले विकास खण्ड के लिये किन कारणों से तहसील दांतारामगढ (सीकर) के बजाय तहसील लक्ष्मणगढ को चुना गया ?

(ख) क्या सीकर जिला विकास समिति की सिफारिश ही इसका मुख्य कारण था ?

(ग) क्या यह सही है कि सीकर जिला विकास समिति में सरकार द्वारा नामजद सदस्य हैं और उनमें कांग्रेस का बहुमत है ?

(घ) यदि हां, तो विरोधी दलों के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)--(१) इस वर्ष अक्टूबर माह से लक्ष्मनगढ में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने का निश्चय, स्थान की उपयुक्तता एवं जिला विकास समिति की सिफारिश पर ही किया गया है।

(२) जिला विकास समिति की सिफारिश भी एक मुख्य कारण था।

(३) यह सही नहीं है।

(४) प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न संख्या १७६

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १८०

रूपनगर तहसील की बारानी भूमि तथा १ जनवरी १६५६ के बाद किसानों को दिये गये पर्चे

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) रूपनगर तहसील में कुल बारानी भूमि कितनी है ?

(२) कितनी बारानी भूमि के पर्चे १ जनवरी, १९५६ के बाद दिये जा चुके हैं और कितनी भूमि बिना नाम दर्ज है ?

(३) ऐसी कितनी भूमि है जिसे ५ वर्ष से लगातार काश्तकार करते आये हैं किन्तु उन्हें इसके पर्चे नहीं दिये गये हैं और ऐसे कौन कौन किसान हैं, जो पर्चा बनने के पहले स्वयं उन जमीनों को काश्त नहीं करते थे ?

(४) क्या ऐसे किसानों को पर्चे देने के सम्बन्ध में कोई मौखिक या लिखित आदेश दिये गये हैं ?

(५) यदि हां, तो इस संबंध में कब और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) (१) रूपनगर तहसील में १,७०,००० बीघा रकबा है।

(२) सेटिलमेन्ट के समय यानी १९५३-५४ में १,१८,१५० बीघा बारानी भूमि खातेदारी में और ४९६७१ भूमि बिना नाम की रही।

(३) सेटिलमेन्ट के समय १५४५ बीघे के काश्तकार जो कि ५ वर्ष से लगातार काश्त कर रहे थे किन्तु उन्हें भूतपूर्व किशनगढ रियासत से बापी का हक प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिये वह भूमि उन खातेदारों को नहीं दी गई।

(४) और (५) टीनेन्सी एक्ट के तहत जिनको खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गये हैं, उनको परचे देने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि आदेश देने के बाद भी कोई पर्चा अभी तक नहीं दिया गया है?

श्री व्यास—यह मैं कह नहीं सकता कि पर्चे दिये गये या नहीं, मगर आदेश जरूर दे दिये गये हैं।

श्री मेहता—क्या पर्चे देने के संबंध में कोई स्टाफ नियुक्त किया गया है ?

श्री व्यास--कोई आवश्यकता नहीं, रेवेन्यू का स्टाफ मौजूद है।

श्री मेहता--क्या यह सही है कि स्टाफ कि नियुक्ति नहीं किये जाने की वजह से कोई पर्चे नहीं दिये गये हैं ?

श्री व्यास--यह बात सही नहीं है। जिन काश्तकारों को पर्चे लेने चाहिये थे उन्होंने पर्चे लिये नहीं।

श्री मेहता--क्या यह सही है कि काश्तकारों की तरफ से सैंकडों अर्जियां मौजूद है और अर्जियां देने के बाद भी उनको पर्चे नहीं दिये गये।

श्री व्यास--मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि पर्चे दिये गये या नहीं, लेकिन आदेश दे दिये गये हैं और कार्यवाही शुरू हो गई होगी।

श्री मेहता--पर्चा देने की कार्यवाही कब शुरू हुई ?

श्री व्यास--जब कि आदेश पहुंचे होंगे उसी वक्त से।

श्री मेहता--आज तक तो आदेश देने के बाद कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई। क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करवाने के लिये तैयार हैं कि आदेश दिये गये हैं उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

श्री व्यास--और मालूमात की जायगी, अगर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट, श्री तेजपाल।

प्रश्न संख्या १८१

भरतपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में मफसर व लावारिसों की भूमियें एवं निकाली गई भूमियों पर कब्जा

श्री तेजपाल--क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे--(१) सरकार ने भरतपुर जिले में मफसर व लावारिसों की किन किन तहसीलों में कितनी जमीन निकाली है ?

(२) जो जमीन निकाली गई है वह किन किन लोगों को दी है और क्या वे लोग उस जमीन पर कब्जा करके काश्तकारी कर सके हैं ?

(३) अगर कब्जा नहीं कर सके हैं तो क्यों ?

(४) आगे के लिये सरकार इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--(१) लगभग १५०० बीघा जिसका विवरण इस प्रकार है:--

भरतपुर	११८ बीघा	३ बिस्वा
बेर	६८८ बीघा	

Page No 22

[श्री दामोदरलाल व्यास]

बयाना	..	२१६ बीघा	४ बिस्वा
धौलपुर	..	७ बीघा	८ बिस्वा
नगर	..	९९ बीघा	१२ बिस्वा
बेहड़ी	..	२९ बीघा	
राजखेडा, रूपबास, कांमा और नदबई	..	३४१ बीघा	१२ बिस्वा
	कुल योग	१५०० बीघा	

(२) भूमिहीन काश्तकारों को भूमि दी गई है और करीब २ सव कब्जा करके काश्त कर रहे हैं।

(३) प्रश्न नहीं उठता है।

(४) इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री तेजपाल--आपने बतलाया कि कब्जा कर चुके हैं। यह नदबई, वेर तहसील में जो जमीन दी गई है उस पर काश्तकारों को अभी कोई कब्जा नहीं मिला है।

श्री दामोदरलाल व्यास--आप सूचना दे रहे हैं, उसकी जानकारी करूंगा। नाम और बता दें।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हरिकृष्ण व्यास।

प्रश्न संख्या १८२

सन् १९५५-५६ के लिये औषधियों के टेन्डर्स एव विभिन्न औषधालयों में औषधियों के क्रय हेतु प्रक्रिया

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Minister for Medical and Public Health Department be pleased to State :—

(a) What is the procedure for the purchase of medicines for are in the various Hospitals ?

(b) When were the tenders in respect of supply of Medicines for 1955-56 called. What was the last date for submission of tenders ?

(c) On what date was the scrutiny of these tenders completed by the Stores Purchase Committee and when were paper sent to the Government for sanction ?

(d) On that dates did the Government accord sanction and intimate the various Hospitals ?

(e) What steps does the Government propose to take to avoid such elays ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)--(क) प्रति वर्ष राजस्थान की चिकित्सा संस्थाओं के लिये आवश्यक वस्तुओं के टेन्डर आमन्त्रित किये जाते हैं। डी. एम. एच. एस. की सिफारिश पर राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृति स्टोर्स परचेज कमेटी द्वारा ठेकेदार चुने जाते हैं। परचेज कमेटी की सिफारिश की स्वीकृति आने पर चुने हुए ठेकेदारों की सूचियां छपवाकर तैयार करली जाती हैं और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दी जाती हैं जिससे वे अपने अधिकृत चिकित्सालयों की आवश्यक वस्तुयें चुने हुए ठेकेदारों से सीधे मंगाते हैं।

(ख) सन् १९५५-५६ के टेन्डर अप्रेल सन् १९५५ में मांगे गये थे और टेन्डर देने की अन्तिम तिथि ३१-५-५५ थी।

(ग) इन टेन्डर्स की जांच पडताल स्टोर्स परचेज कमेटी द्वारा दिनांक ३१-५-५५ को पूरी हुई थी और कागजात स्वीकृति के लिये सरकार को दिनांक १-९-५५ को भेजे गये थे।

(घ) सरकार ने भाग (अ) दवाइयों की स्वीकृति दिनांक ९-१-५६ को और भाग (ब) औजारों की दिनांक २३-२-५६ को दी।

(ड) उपरोक्त की सूचना अधीनस्थ चिकित्सालयों को क्रमशः २८-१-५६ व १६-३-५६ को भेजी गई।

(च) सरकार ने आदेश दिया है कि स्टोर्स परचेज कमेटी रूल्स में दिये हुए कार्यक्रम को अविकल रूप से कार्य परिणत किया जाय। इससे देरी की सभावना नहीं रहेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--१६-३-५६ को और २८-१-५६ को स्वीकृति प्रदान की गई तो क्या इस तरह से उस साल के पूरे होने से पहले मेडिसिन्स और औजार खरीदने की स्थित में थे अस्पताल ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--मैं समझा नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब ५५-५६ के लिये टेन्डर थे और १९५६ के मार्च में स्वीकृति दी जाती है, इन अस्पतालों के पास २८ जनवरी को स्वीकृति जाती है, तो इतने कम समय में सारे साल भर के प्रोवीजन्स क्या खरीदने की स्थिति में थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--साल भर का बजट होता है। कुछ दवाइयां पहले खरीद ली जाती हैं क्योंकि लोकल डाक्टर्स और डी. एच. एम. को अख्तियार है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब टेन्डर ५५-५६ के साल के लिये मांगे गये थे तो फिर फाइनेन्शियल इयर के अन्त में खरीदने का क्या मतलब था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--प्रोसीजर इतना लम्बा चौडा है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो कायदा है, वह पूरा होना होता है। वह कमेटी में जायगा, फिर डिपार्टमेन्ट में जावेगा। अगर जल्दी की जाती है तो वैसी शिकायत की जाती है कि जल्दी क्यों की जाती है और समझ बूझ कर किया जाता है तो देरी क्यों ? तो चारों तरफ से मुश्किल है। दवाइयों की कमी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जो अप्रेल ५५ में जो टेन्डर आये उनकी मन्जूरी मार्च ५६ में हुई, उस पर क्या जाब्ते की और सोच समझ कर की कार्यवाही करना सही थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--कमेटी से टेन्डर आते हैं, डिपार्टमेन्ट में आते हैं, फिर एफ. डी. में जाते हैं, एफ.डी. से आने पर फिर फाइनल होते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जिस अवधि के लिये टेन्डर मांगे थे ५५-५६ के लिये, वह अवधि पूरी होने पर निर्णय हो तो उस प्रोसिजर को चेन्ज करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--सरकार ने आदेश दे दिये हैं परचेज कमेटी को कि रूल्स ठीक करे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--ये परचेज कमेटी को आदेश कब मजूर हुये और ठीक करने के लिये निर्देश कब जारी हो चुका ?

श्री अध्यक्ष--Different question.

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह रूल्स को अमेन्ड करने के बाद की बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष--बाद की बात कहते हैं ; बताइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--बाद की बात जरूर है। रूल्स इसलिये बनाये कि गडबडियें न हों। कमेटी में कार्यवाही होती है, कमेटी की मिटिंग्स होती हैं। धीरे २ काम होता है। चीफ इन्जीनियर को तो पांच लाख के पॉवर्स हैं परचेज करने के, लेकिन डाइरेक्टर को नहीं है। सारी स्क्रुटिनी करनी पडती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि रूल्स में इस बात का उल्लेख है कि अलग अलग अस्पतालों को ज्यादा से ज्यादा १५ अप्रेल तक.........

श्री अध्यक्ष--What rules have been published in the Gazette. You need not discuss.

श्री हरिकृष्ण व्यास--ये कहते हैं कि रूल्स के अनुसार कार्यवाही होती है। डेट स्पेसिफाइड है, सारा प्रोसिजर हो जाना था। उसके बावजूद भी यह स्थिति है कि बाद में सेंक्शन होती है।

श्री अध्यक्ष--The facts have been laid down there. There cannot be any situation as to what they are and what they are not.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I am proposing, sir, that though the rules are there even then it is done like that.

श्री अध्यक्ष--The reply has been given that they have been amended.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Though the rules have been amended but even then they have been done afterwards.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--स्टोर्स परचेज कमेटी के रूल्स को अविकल रूप से किया जाय, यह मैं बता चुका हूं जिससे कि देरी न हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या ५६-५७ के लिये टेन्डर्स का आदेश जारी हो चुका था ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इस प्रश्न से रूल्स के वेरीफिकेशन का पता चल जावेगा। क्या टेन्डर ईश्यू करने के लिये आदेश जारी हो चुके ५६-५७ के लिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--हो चुके और टेन्डर आ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८३

महात्मा गांधी होस्पिटल, जोधपुर में बेड्स की वर्तमान व्यवस्था एवं उन्हें बढाने के हेतु शासकीय कदम

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Minister for Medical and Public Health Department be pleased to state :—

(a) What is the total number of beds provided in the Mahatma Gandhi Hospital, Jodhpur ?

(b) How many patients in the various wards e.g., the Medical and the Surgical wards, had to be made to lie on the ground, due to lack of beds, in the above Hospital during each Month during 55-56 and from April 56 to July, 56 ?

(c) What steps have the Government taken to increase the number of beds in the above Hospital ?

(d) What steps have been taken to increase the provision for Medicines in the above Hospital ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री स्वास्थ्य विभाग)--(क) महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में ४३९ बेड्स हैं।

(ख) इस साल में हर महीने में करीब दो हजार पेशेन्ट्स जमीन पर रखे गये हैं। अगर आप चाहें तो डिटेल्स मेरे पास हैं, जो मैं पढ दूं।

श्री अध्यक्ष--I will not allow.

श्री बद्रीप्रसाद--(ग) हाल ही में वहां १०० बेड्स और बढ़ाने का प्रवन्ध किया गया है।

(घ) मौजूदा बजट मेडीसिन्स का काफी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यहां जो १००बेड्स बढ़ाने का प्रबन्ध किया गया, इसके लिये कब आदेश जारी किये गये और कब लागू हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--बेड्स बढ़ाने के ऑर्डर्स भेज दिये गये हैं, तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि टिल यसटर्डे इविनिंग, वहां एक भी बेड नहीं पहुंचा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--हो सकता है। मेरे पास यह इन्फोर्मेशन है। बेडस् भेजने के ऑर्डर्स हो गये हैं और भेज भी दिये गये हैं। रास्ते में कहीं रुक गये हों तो मुझे पता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि उस अस्पताल में मेडिसिन्स का प्रोविजन आठ साल से मरीजों की तादाद को ध्यान में रखते हुए रिवाइज नहीं किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--सब राजस्थान के लिये एक स्केल है। वहां भी मेडिसिन्स की वही स्केल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो इनडोर और आउटडोर पेशेन्ट्स का अनुपात कितना है, उस दृष्टि से मेडिसिन्स का प्रोविजन सरकार कर रही है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--दवाइयों की शिकायत कभी नहीं थी, बेड्स की शिकायत जरूर थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--शिकायतें तो बहुत हैं, अध्यक्ष महोदय। नम्बर ओफ पेशेन्टस् से रिलेट करके दवाओं को इन्क्रीज करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--पहले से बजट बढ़ाया है, कमी जरूर है जो सारे राजस्थान के लिये है। फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज हैं। जहां कमी होती है वहां बढा दी जाती है। जहां २ से कम्प्लेन्ट आती है कि दवाइयें नहीं हैं वहां २ दवाइयां भेज दी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८४

पचास फी सदी रुपया हरिजन सुधारार्थ नगरपालिकाओं एवं नगरमंडलों को

श्री तेजपाल--क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या सरकार द्वारा ५० फी सदी रुपया हरिजन सुधार के लिये म्युनिसिपेलिटी व टाउन बोर्ड को देने का कोई आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(ख) इन आदेशों का किन २ जिलों की म्युनिसिपेलिटी और टाउन बोर्डों ने पालन किया है?

श्री भोगीलाल पंड्या (समाज कल्याण मंत्री)--(क) हरिजनों के लिये रोशनी और पानी की व्यवस्था के लिये पचास प्रतिशत रकम समाजकल्याण विभाग द्वारा देने के लिये योजना सन् ५४ में बनाई गई। उसका लाभ जिन म्युनिसिपेलिटियों और टाउन बोर्डों ने उठाया उसकी सूची इस प्रकार है:--

[श्री भोगीलाल पण्ड्या]

जयपुर, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, बीकानेर, नागोर, बाडमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर, चित्तोड, उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, झालावाड ।

श्री तेजपाल—भरतपुर के अन्दर तो एक पैसा भी उन लोगों को सुधार के लिये मिला नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सूची में नाम बोला था, इसका मतलब यह है कि उनको दिया गया ।

श्री तेजपाल—नाम तो बताया लेकिन पैसा एक नहीं मिला ।

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर पैसे के लिये खास तोर से पूछा होता तो मैं, हर एक जिले को कितना २ दिया गया है, यह भी बता देता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—भरतपुर के नाम का पैसा कहां गया है, उसकी जांच करायी जाय।

श्री तेजपाल—मैं सुधार के लिये पूछना चाहता हूं कि भरतपुर में कितना दिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि जहां २ का पैसा था वहां उसी जगह पहुंच गया। दूसरी बात यह है कि बसावरा के लिये पूछा सो १२५) पहुंचा ।

श्री तेजपाल—मैं भरतपुर के लिये पूछ रहा था ।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपमे टाउन बोर्ड के लिये भी पूछा था इसलिये मैंने आपको बताया कि बसावरा को दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८५

इस वर्ष डूंगर कॉलेज बीकानेर में गंगानगर के विद्यार्थियों को प्रवेश देने की मनाही

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) इस साल डूंगर कॉलेज, बीकानेर में गंगानगर के विद्यार्थियों को लेने से क्यों इन्कार कर दिया गया ?

(ख) क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-शिक्षा मंत्राणी)—(क) कुछ विद्यार्थी गणित में डूंगर कालेज बीकानेर में प्रवेश पा चुके थे, वहां सीट खाली नहीं थी ।

(ख) जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु--क्या यह सही है कि पहले तो इन विद्यार्थियों को दाखिल कर लिया गया था और बाद में इन्कार कर दिया गया था ?

पहले उनको एडमिशन दे दिया गया था और बाद में इन्कार कर दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल--ऐसी मेरे पास जानकारी नहीं है। एडमिशन नहीं मिला, इसकी जानकारी मेरे पास है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु--क्या यह सच है कि कई दिनों तक कॉलेज में दाखिल रहे और बाद में निकाले गये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल--ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु--क्या सरकार इसकी जानकारी हासिल करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं समझता हूं उत्तर स्पष्ट है कि गणित में उनको एडमिशन नहीं मिल पाया, वरना गंगानगर के दूसरे विद्यार्थी वहां हैं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु--ऐसी बात नहीं है। झगडा होने के कारण सबको निकाला गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जी नहीं। हमारे पास सूचना और प्रकार की है। आप और सूचना देंगे तो जानकारी की जायगी।

श्री अध्यक्ष--ये तो ऐसी सूचना देंगे।

प्रश्न संख्या १८६

श्री रामदयाल उपाध्याय

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

पदमपुर तहसील बीजवाला क्षेत्र में एस. डी. एम. करनपुर द्वारा भूमि अलाटमेंट में मनमानी

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या पदमपुर तहसील के बीजवाला क्षेत्र में अलॉटमेंट के समय एस. डी. एम. करनपुर ने अपने मनमाने ढंग से सैंकड़ों बीघों के मालिकों को भूमि अलाट की ?

(ख) क्या यह सच है कि चक ४३ एल. एन. पी. में आज तक नहरी भूमि बाकी रखी हुई है ?

(ग) क्या सरकार पदमपुर की आराजी काश्त की खुली जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जी नहीं । अलोटमेन्ट नियमानुसार होता है ।

(ख) जो भूमि रखी है वह इस प्रकार की है कि गंग केनाल के पानी से एक गांव डूब गया और गांव के नीचे की जो जमीन पड़ी है, उसको कोई लेने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि उस पर खर्चा और मेहनत करनी पडती है । इस भूमि को कोऑपरेटिव फार्म बनाने के काम में लेने का इरादा है ।

(ग) इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सच है कि एस. डी. एम. यह जमीन अपने दोस्त को देना चाहते हैं, इसलिये बार बार लिखने पर भी इसे नहीं दे रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है । कोओपरेटिव फार्म के रूप में योजना बनाई जा रही है । यदि कोई भूमि को लेना चाहे तो दर्ख्वास्त देकर ले सकता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार जांच करायेगी कि बहुत सी दर्ख्वास्तें पेन्डिग हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं मालूम करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री छंगाराम ।

श्री श्रीदयाल गोयल—क्या.....

श्री अध्यक्ष—श्री छंगाराम सवाल पूछ रहे हैं या आप पूछ रहे हैं ?

प्रश्न संख्या १८८

सिवाय चक भूमि वितरण कमेटी द्वारा सिवाय चय भूमि का अलॉटमेंट एवं तहसीलदार द्वारा कब्जे कराना

श्री छंगाराम—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें :—

सिवाय चक भूमि वितरण कमेटी द्वारा गंगापुर से कितनी सिवाय चक भूमि अलाट की गई है और उसमें से कितनों को कितनी भूमि पर तहसीलदार गंगापुर द्वारा कब्जा कराया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अब तक भूमि वितरण में ३६७१ बीघा जमीन एलॉट की गई जिसमें मे ३६३१ बीघा जमीन पर कब्जा कराया जा चुका है ।

श्री छंगाराम—क्या सरकार को यह मालूम है कि अब तक १ बीघा जमीन पर भी कब्जा नहीं कराया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हमारे पास जो सूचना आई है उसके अनुसार ३६३१ पर कब्जा किया जा चुका है ।

श्री छंगाराम—क्या सरकार जांच कराने को तैयार है कि एक बीघा भूमि पर भी कब्जा नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच का रिजल्ट मैंने अर्ज कर दिया ।

श्री श्रीदास गोयल—जब कि सिवाय अलोट की जाती है और एक बीघा जमीन भी अलोट नहीं किया गया है तो क्या सरकार उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिसने गलत सूचना दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हमारे पास जो इन्फोर्मेशन है उसके अनुसार आपको बता दिया गया । और आप कहते हैं कि नहीं अलोट की गई तो सूचना को वेरिफाइ करेंगे ।

श्री श्रीदास गोयल—सूचना के साथ २ छंगाजी कहते हैं कि वह सूचना सच नहीं है तो उस अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जाती ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सूचना गलत साबित होगी तभी तो दंड का सवाल आयगा ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या जांच के लिये अधिकारी मुकर्रर करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच करने का मतलब यही होगा ।

श्री श्रीदास गोयल—कब तक जांच करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आज ही आर्डर दे दिया जायगा ।

प्रश्न संख्या १८६

वाई. एन हॉस्पिटल किशनगढ़ के लिये ५५-५६ के वर्ष में औषधियों व औजारों हेतु स्वीकृत धन-राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) वाई. एन. होस्पिटल किशनगढ़ के लिये ५५-५६ के वर्ष में कितने २ रुपये दवाइयों और औजारों के लिये स्वीकृत किये गये व उनमें से कितने रुपये की दवाईयां व औजार खरीदे गये ?

(२) ५६-५७ के वित्तीय वर्ष में कितने रुपयों की दवाइयें व औजार स्वीकृत हुए व कितने २ रुपयों की दवाईयां व औजार खरीदे गये ?

(३) १ जनवरी, १९५६ के बाद उक्त अस्पताल में किन २ आवश्यक दवाइयों का अभाव रहा और क्यों ?

(४) १ जनवरी, १९५६ के बाद कितने इंडोर पेसेन्ट को लाइम प्लास्टर अपने घर से लाकर अस्पताल में देना पड़ा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) वाई. एन. अस्पताल किशनगढ़ में दवाइयों के लिये ११,५०० रु० और औजारों के लिये ५,००० रु० स्वीकार हो चुके थे । इस वर्ष में ११,७०७ रु० १० आ० ९ पा० की दवाईयां और १५७९ रु० ७ आ० ६ पा० के औजार खरीदे गये ।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इस वर्ष ५६-५७ में दवाइयों के लिये १४,००० रु० स्वीकार हुए हैं जिनमें से २८,३९ रु० १५आ. खर्च हुए और औजार के ५,००० रु० स्वीकार हुए जिनमें से १८९ रु० १० आ० ६ पा० खर्च हुए। दवाइयें खरीदने का आर्डर दिया जा चुका है और औजारों के लिये ऑर्डर दिया जाने वाला है।

(३) १ जनवरी, १९५६ के बाद आवश्यक दवाइयों का कोई अभाव नहीं रहा।

(४) इस अस्पताल में लाइम प्लास्टर काफी मात्रा में मौजूद था। किसी को तंग नहीं किया गया। दो तीन मरीज अपनी इच्छा से सुपीरियर क्वालिटी का लायें होंगे।

श्री चांदमल मेहता--सन् ५५-५६ में बजट स्वीकृत हुआ उस पर भी पूरी दवाइयां क्यों नहीं मंगाई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--टेन्डर्स देरी से आये इसलिये नहीं मंगाई गई।

श्री चांदमल मेहता--५५-५६ में औजारों के लिये ५,००० रु० स्वीकृत हुए और केवल १,५०० रु० के औजार मंगाये गये और इस साल जो रकम स्वीकार हुई उसके औजार अभी तक नहीं मंगाये गये। प्रतिवर्ष मंजूर की गई औजारों के लिये रकम को लेप्स करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--टेन्डर्स देर से आये।

श्री चांदमल मेहता--एटवंस किस कारण से नहीं मंगाये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--स्वीकृति मार्च महीनें में पहुंची इसलिये नहीं मंगाये गये।

श्री चांदमल मेहता--स्वीकृति देर से पहुंचाने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--गवर्नमेन्ट ही जिम्मेदार है और तो कौन जिम्मेदार हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि स्वीकृति पहुंच गई लेकिन जो तरीका औजारों को खरीदने का है वह डिफेक्टिव है, इस वजह से औजार समय पर नहीं पहुंच पाये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--स्वीकृति तो बजट पास होते ही पहुंच जाती है लेकिन एप्रूव्ड लिस्ट पहुंचने में ज्यादा देरी लगती है।

प्रश्न संख्या १६०

जोधपुर नगरपालिका के सचिव का पद आर. ए. एस. श्रेणी का एवं वर्तमान सचिव की योग्यता इत्यादि

श्री भैरूं सिंह (१६)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर नगरपालिका के सेक्रेटरी का पद आर. ए. एस. की श्रेणी का है ?

[श्री भैरूंसिंह]

(ख) इस समय इस पद पर कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं ? उनको कितनी तनख्वाह और कितना कितना किस किस काम का अलाउन्स मिलता है ?

(ग) उपरोक्त अधिकारी इस पद पर आने के पहले किस स्थान पर, किस पद पर और किस तनख्वाह पर काम कर रहे थे तथा इस पद पर उनकी नियुक्ति कब और किस आधार पर की गई ?

(घ) क्या पी. एस. सी. को उनकी नियुक्ति के बारे में रेफर किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी नहीं ।

(ख) श्री रामचन्द्र माथुर । उनको इस समय २७५ रु. तनख्वाह, कार अलाउन्स १०० रु. व स्पेशल पे १०० रु. और ३५ रु. मंहगाई मिलती है ।

(ग) इस स्थान पर आने से पहले वे म्युनिसिपल बोर्ड कोटा में एग्जीक्युटिव ओफिसर के पद पर थे और वहां पर उनको २२० रु. तनख्वाह, ७५ रु. कार अलाउन्स और ३५ रु. मंहगाई मिलती थी ।

(घ) इस पद पर उनका तबादला मार्च १९५५ में ट्रांसफर के आधार पर किया गया था । स्वायत्त शासन संस्थाओं के अधिकारियों की नियुक्ति पी. एस. सी. की मार्फत करने का नियम नहीं है ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि इस पद पर उनसे पहले काम करने वाले जो अधिकारी थे उनका स्थानान्तरण केवल इसलिये किया गया कि उक्त अधिकारी आर. ए. एस. की श्रेणी के नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे ऐसी जानकारी नहीं है ।

श्री भैरूंसिंह—क्या अब तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ है कि जोधपुर म्युनिसिपेलिटी के सेक्रेटरी के पद पर आर. ए. एस. आफिसर को रखा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसे ऑर्डर नहीं हुए कि यह आर. ए. एस. का पद होगा ।

श्री भैरूंसिंह—आर. ए. एस. के पद के ऑर्डर हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मौजूदा एग्जीक्युटिव ऑफिसर गवर्नमेण्ट सर्विस में कितने अर्से से हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने पहले बताया था that he is B.A.,LL.B. He was in Municipal service under the Municipal Board at Kotah and now he has been transferred to Jodhpur.

श्री हरिकृष्ण व्यास—When did he join Government service? In what year ?

Page No 33

श्री अध्यक्ष—सन् ५५ बताया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो जोधपुर में आने की डेट बताई। अपोइण्टमेण्ट कब हुआ ?

श्री अध्यक्ष—कोटा में अपोइण्टमेण्ट कब हुआ, यह डेट बता सकते हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह डेट इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन महोदय की सरकारी नौकरी कुल मिला कर अब तक ३ साल से कम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे पता नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस अधिकारी का नाम सीनियोरिटी लिस्ट में लास्ट बट वन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें सीनियोरिटी का सवाल पैदा नहीं होता। हमारे यहां ७ ग्रेड की म्यूनिसिपेलिटीज हैं। कोई (ए) ग्रेड में है तो कोई (बी) या (सी) या इससे नीचे ग्रेड में है। इसलिये सीनियोरिटी का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जोधपुर म्युनिसिपेलिटी का ग्रेड क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—That is A grade Municipality.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ये सज्जन ए ग्रेड म्युनिसिपेलिटी के हकदार नहीं हैं क्यों कि अभी तक इनको सरविस ३ साल से कम है और उनसे कई लोग सीनियर बैठे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये ए ग्रेड से आये हैं कोटा से ट्रान्फर होकर इसलिये सवाल नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं सरविसेज के बारे में पूछ रहा हूं। आप कोटा की ईरिलेवेन्ट बात कह कर चला रहे हैं, वह गलत है, that is no justification. मैं मौजूदा स्थिति जो है उनकी गवर्नमेन्ट सरविस के बारे में उसको पूछ रहा हूं। गवर्नमेन्ट सर्विस रूल्स के मुताबिक क्या यह direct recruitment ठीक है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रूल्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। कोई गडबड नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार उनके नोकर होने के बारे में इत्तला दे सकती है कि वे कब और किस दिन नौकर हुए ?

श्री अध्यक्ष—That has not been........

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी कहा कि.....

श्री अध्यक्ष--Inability has been expressed as to when he was appointed. The date of his first appointment is not known.

श्री हरिकृष्ण व्यास--तब कैसे एलिजिबिल हो सकते हैं ? ७ साल की सर्विस के बाद में ए. ग्रेड में जा सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--ऐसा कोई रूल नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--३ साल की अवधि भी इनकी पूरी नहीं हुई है, फिर कैसे जा सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--ऐसा कोई रूल नहीं है कि ७ साल के बाद जावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट विभाग के सेक्रेटरी ने एक सर्कुलर शाया कराया है इस बारे में और ११ म्युनिसिपल बोर्ड्स को रिमाइन्डर दिया है और इस कारण से कइयों का स्थानान्तरण हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--यह आपका अलग प्रश्न है, जानकारी हासिल करके कह सकता हूं।

श्री एच० के० व्यास--तो फिर किस बिनाह पर कहा कि ऐसा रूल नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--मैंने यह कहा कि उनका अपोइन्टमेन्ट बिलकुल रेगुलर हुआ है। जिस जगह वह काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार--क्या यह भी साले-बहनोई की शिफारिश का सवाल है ?

(ऑर्डर सूचक घंटी)

श्री मानसिंह महार--क्या यह सही है कि श्री रामचन्द्र श्री मथुरादास माथुर के बहनोई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--तो क्या आप कांग्रेस वालों को तो यह पसंद करते हैं कि लंगोटी लगा कर जंगलों में चले जायं, कोई नौकरी ही नहीं करें ?

श्री अध्यक्ष--No occasion for excitement !

श्री मानसिंह--मेरा प्रश्न है कि क्या मथुरादास माथुर के वे बहनोई हैं ?

श्री गुप्ता--हां हैं बहनोई, परन्तु उनके अपोइन्टमेंट के बारे में कोई गडबडी है क्या ? उनके अपोइन्टमेंट में कोई गडबडी नहीं है।

श्री मानसिंह महार--उनका डाइरेक्ट अपोइन्टमेंट कर लिया है, यह गडबडी है। ०

(घंटी)

श्री एच०के० व्यास--मैं एक नहीं ११ गडबडियां बताता हूं आप अगर पूछते हैं तो।

श्री अध्यक्ष—Only information should be asked.

श्री एच० के० व्यास—क्या गडबडी है इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसलिये मैं बताने को तैयार हूं कि एक नहीं ११ गडबडियां हैं।

श्री अध्यक्ष—He is always prepared to have it, but outside the House.

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनको डाइरेक्टली ए. क्लास कमेटी में क्यों एपोइन्ट किया गया ?

श्री गुप्ता—He has come here on transfer.

श्री मानसिंह—अभी जवाब दिया गया कि कोटा ए. क्लास म्युनिसिपैलिटी है।

श्री गुप्ता—अपोइन्टमेंट कैसे हुआ, कहां हुआ इसका सवाल नहीं। कोटा से ट्रान्सफर होकर यहां आये हैं। He has been transferred in A class municipality from A class Municipality.

प्रश्न संख्या १६१

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६२

चित्तौड़ जिले की विभिन्न तहसीलों में अति जल वृष्टि से क्षति एवं कृषकों को राहत

(प्रश्न कर्ता, श्री सुगनचन्द जैन, की अनुपस्थिति में लिया गया)

प्रश्न

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. चित्तौड जिले में इस साल हर तहसील में अतिवृष्टि से काश्त में कितना २ नुकसान हुआ ?

२. क्या जिन तहसीलों में ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर राहत कार्य खोलने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कौन २ सी तहसीलों में किस २ कार्य के लिये कितनी २ रकम मंजूर हुई है तथा वहां राहत कार्य कब तक चालू हो जावेंगे और अब तक काम चालू नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) गश्त गिरदावरी समाप्त होने के बाद में हानि के सम्बन्ध में सही हालात मालूम हो सकेंगे।

(२) अभी तक इस सम्बन्ध में गश्त गिरदावरी के हालात नहीं आये हैं, इस लिये कलेक्टर के कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

श्री जगतसिंह झाला—कब तक गश्त गिरदावरी हो जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह जारी है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६३

ग्राम पंचायत घाटवा (त० नावा) में नामजद सदस्य एवं उन्हें नामजद करने के कारण

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) ग्राम पंचायत घाटवा तहसील नावा में कितने नामजद सदस्य हैं और उन्हें नामजद करने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि इस ग्राम पंचायत के चुनाव में भी एक हरिजन चुना गया है ? यदि हां, तो फिर हरिजन को नामजद करने की क्या आवश्यकता हुई और यदि यह नामजदगी गलत हुई है तो कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार है व अब इस सदस्य को हटाये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) एक अनुसूचित जाति का सदस्य नामजद है । निर्वाचन पत्रों में साधारणतया जाति का विवरण अंकित नहीं होता है और इसी कारण यह मालूम नहीं हो सका कि कोई अनुसूचित जाति का सदस्य निर्वाचित हुआ था । इसलिये यह नियुक्ति की गई थी ।

(ख) जी नहीं । हां, श्री अर्जुन पिता उमाराम बावरी निवासी भीलाल कोटेडा अवश्य निर्वाचित हुआ था, परन्तु निर्वाचन सूची में जाति का विवरण नहीं होने से त्रुटिवश नामजदगी हो गई। उस नामजद सदस्य को हटाने की कार्यवाही हो रही है ।

प्रश्न संख्या १६४

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में, डी. एम. व एच. एस. को नियत बेड्स एवं उनको अनुपस्थिति में उन बेड्स सम्बन्धी व्यवस्था

श्री अजितकुमार मुखर्जी—Will the Medical and Public Health Minister be pleased to state :—

(1) Is it a fact that forty beds in the S.M.S. Hospital, Jaipur have been allotted to the present D.M. & H.S.

(2) Is it also a fact that the present D.M. & H.S. has to remain out of Jaipur quite frequently in connection with official duties, camps etc. If so, how are those patients are looked after in his absence.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) जी हां, ४० बेड्स सवाई मानसिंह होस्पिटल में दिये जाने का हुक्म है, अभी तक १२ बेड्स ही दिये गये हैं ।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(२) जी हां, डाइरेक्टर को जब बाहर जाना पडता है तो उसके सहायकों का सहयोग और सहायता ली जाती है।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--४० बेड्स देने का ओर्डर है और १२ ही दिये गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--हमारे पास और बहुत डॉक्टर्स हैं।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि एक होल टाइम सर्जन को कितने बेड ओर्डीनरीली अलोट किये जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--जनरल सवाल पूछते हैं ?

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--जी हां।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि इतने दिये जाने चाहिये।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--मैं आपको जानकारी दे दूं कि ४० बेड्स होल टाइम सर्जन को दिये जाते हैं। मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि जब कि वे होल टाइम सर्जन नहीं हैं तो उनको ४० बेड्स क्यों दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--इसलिये कि वे एक एक्सपर्ट सर्जन हैं।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--जब वे इतने बेड्स की देख रेख नहीं कर सकते हैं तो उनको इतने बेड्स क्यों दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि देख रेख नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे सर्जन होकर राजस्थान की डबल सर्विस कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--उदयपुर में उनके लिये कितने बेड्स एलोटेड हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--कोई बेड अलोटेड नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि उदयपुर में भी ओपरेशन्स सब यही करते थे और इसीलिये वहां सर्जन एपोइण्ट नहीं हुआ था करीब सवा साल तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--वे ओपरेशन करने बाहर भी जाते हैं। गवर्नमेण्ट जानती है कि वे एक एक्सपर्ट सर्जन हैं इसलिये बाहर भी ओपरेशन के लिये जाते थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--गवर्नमेण्ट जानती है या नहीं, यह मेरा प्रश्न नहीं; मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या यह सही है कि क्या उदयपुर होस्पिटल के सर्जीकल केसेज भी यही देखते थे जिसकी वजह से सवा साल तक वहां किसी सर्जन का अपोइण्टमेण्ट नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष--Beyond the scope of this question.

श्री एच० के० व्यास--But it is relevant all the same, Sir.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--अब तो उन्हें जयपुर के लिये कन्फाइन्ड कर दिया है, बाहर के लिये मना कर दिया है ।

श्री जगतसिंह झाला--अगर वे इतने एक्सपर्ट सर्जन हैं तो उनसे डी. एच. एम. का काम न लेकर केवल सर्जिकल का ही काम क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री गुप्ता--डी. एच. एम. के लिये भी उनकी सर्विसेज चाहिये; वे एक अच्छे सर्जन होने के साथ साथ इस काम के भी एक्सपर्ट हैं ।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--क्या वे ४० बैड्स की देख रेख कर सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--वे बहुत दिनों से कर रहे हैं ?

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--होल टाइम सर्जन को जिस हिसाब से बैड दिये जाते हैं उसी हिसाब से उनको ४० बैड क्यों दिये गये, जब कि उन्हें डी. एच. एम. का काम भी करना पडता है ?

श्री गुप्ता--उनको डी. एच. एम. के पद पर एपोइण्ट किया गया था तो उनकी यह शर्त थी कि यदि उनको सर्जिकल का काम नहीं दिया जायगा तो वे डी. एच. एम. का काम नहीं करेंगे ।

प्रश्न संख्या १९५

श्री अध्यक्ष--श्री कुंभाराम आर्य ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल

प्रश्न संख्या १९६

सवाई माधोपुर नगर में ढूंढे एवं नगरपालिकाओं द्वारा उन्हें बेचने की व्यवस्था

श्री श्रीदास गोयल--क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) सवाई माधोपुर नगर में ढूंढे (खंडहर बिना छतकी दीवारें) कितने हैं ?

(ख) क्या नगरपालिका सवाई माधोपुर इन ढूंढों की भूमि को नहीं बेच रही है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि इन ढूंढों के रहने से नगर में गंदगी फैलती है तथा हिंसक पशु और चोरों को छिपने के लिये स्थान मिलता है ?

(ङ) सरकार कब तक यह आदेश देगी कि नगरपालिका उक्त ढूंढों की भूमि को बेचकर नगर के विकास में इस आय को खर्च करे ?

श्री दामोदरलाल व्यास--(क) ढूंढे (खंडहर) इस प्रकार के जिनकी कि छतें नहीं हैं, उनकी संख्या तीन सौ, साढे तीन सौ है।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

(घ) ढूंढों की वजह से गंदगी की शिकायत रहती है।

(ङ) प्रश्न खंड (ख) और (ग) में दिये गये उत्तर के कारण प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीदास गोयल--नगरपालिका को जब कि उसके आधीन सब भूमि बेचने के अधिकार दिये गये हैं तो इन ढूंढों के नीचे पड़ी हुई भूमि को बेचने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--कच्चे खंडहरों के नीचे जो जमीन है उसको नगरपालिका बेच सकती है, पर ऐसे पक्के खंडहर हैं जिनके उजदार हैं उनके बेचने का अधिकार नगरपालिका को कैसे दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--आर्क्योलोजिकल होगा।

(हंसी)

नेक्स्ट। श्री अवनिकुमार मुखर्जी।

प्रश्न संख्या १६७

डी. एम. एण्ड एच. एस. के पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को रखे रहने के कारण

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—Will the Medical and Public Health Minister be pleased to state :—

(1) Is it a fact that the officer working at present as D.M. & H! S. has been refused confirmation by the Public Service Commission ?

(2) If so, why is he being allowed to continue on this post ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—क्या उनका केस पी. एस. सी. को रेफर किया गया था ?

श्री गुप्ता—जी हां।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—क्या पी. एस.सी. से कोई उत्तर नहीं मिला ?

श्री गुप्ता—पी. एस. सी. ने यह उत्तर दिया कि जब तक सीनियोरिटी फाइनल न हो तब तक कन्फर्मेशन नहीं किया जाय।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—आपने कहा कि सीनियोरिटी निर्धारित नहीं हुई है। इस पर मेरी जानकारी है। राजस्थान राज-पत्र में डाक्टरों की सीनियोरिटी की लिस्ट निकली थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसमें ओबजेक्शन्स आदि आए होंगे अभी तक वह फाइनेलाइज नहीं हुई है।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—यह कब तक फाइनेलाइज हो जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मैं बताने में अयोग्य हूं।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—मेरा मतलब यह है कि सीनियोरिटी तय न होने से यह प्रश्न तय नहीं किया गया है, इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न कब तक तय हो जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद—सीनियोरिटी के लिये आपका कोई प्रश्न नहीं। इसके लिये कार्यवाही हो रही है और जल्दी ही हो जावेगी।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—जल्दी से कितने दिन, महीना, दो महीने या ६ महीने ?

श्री एच० के० व्यास—यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—यह बिल्कुल दूसरा प्रश्न है।

श्री एच० के० व्यास—यह चार साल से विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६६

जिला गंगानगर में खोली गई और इनमें निजी रूप से पहले चलने वाली प्राथमिक पाठशालायें

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) इस साल कितने प्राइमरी स्कूल जिला गंगानगर में खोले गये हैं और उनमें कौन कौन सी कक्षाएं शुरू की गई हैं ?

(ख) इनमें से कितने ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो इससे पहले गांव वाले प्राइवेट तौर पर चलाया करते थे तथा जिनमें ५ वीं कक्षा के विद्यार्थी पढ़ रहे थे ?

(घ) क्या यह सही है कि इन स्कूलों के खोले जाने से तीसरी व चौथी व ५ वीं कक्षाओं की पढ़ाई बन्द हो गई है ?

(ङ) क्या सरकार को विदित है कि गांव मानकसर व चक ५९ एफ के लोगों ने तीसरी व चौथी व ५ वीं कक्षा की पढ़ाई जारी रखे जाने के लिये प्रार्थना-पत्र इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स में पेश किये हैं ?

(च) क्या सरकार इन स्कूलों में पुनः कक्षा ५ तक की पढ़ाई कराने का प्रबन्ध करेगी ?

Page No 41

श्री कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) इस साल २० एक अध्यापकीय राजकीय प्राइमरी पाठशालाएं खोली गई हैं। उनमें पहली और दूसरी कक्षाएं शुरू की गई हैं ;

(ख) ५ एच. ५९ एफ. मानकसर ६ एफ. एफ. १२ एम. एल. शिलवाला (फीडर) रासूवाला गांवों में प्राईवेट तौर पर पाठशालाएं चलती थीं। केवल मानकसर में ही ५वीं कक्षा तक के विद्यार्थी थे ;

(ग) जी नहीं। जहां जहां पर छात्रों की उचित संख्या आगामी कक्षाएं खोलने की थी वहां ऐसी कक्षाएं खोलने की आज्ञा दे दी गई है।

(घ) जी हां। और उन्हें आज्ञा दे दी गई है।

(ङ) प्रबन्ध पहले ही कर दिया गया है अतः प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६८

सलामपुर जिला (झुन्झुनू) के पंचायत के उप-सरपंच के चुनाव पुनः कराने में डिवीजनल पंचायत अधिकारी के दायित्व

श्री भैरू सिंह (१६)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सलामपुर जिला झुन्झुनू की पंचायत के उप-सरपंच कौन हैं ?

(ख) क्या यह सही ह कि उक्त उप-सरपंच पहले चार मीटिंग में अनुपस्थित होकर बाद में तीन मीटिंग में उपस्थित हुआ और उसके पश्चात् वह बराबर पंचायत की मीटिंग में उपस्थित होता रहा है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त उप-सरपंच के पंचायत की मीटिंग में उपस्थित रहते हुए भी डिवीजनल पंचायत अफसर ने गुटबाजी से प्रभावित होकर उक्त उप-सरपंच को डिसक्वालीफाई किया है और उसका चुनाव कराने की आज्ञा दी है ?

(घ) क्या उक्त डिवीजनल पंचायत अफसर का निर्णय अपने आप में ही विरोधात्मक नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) श्री ओंकारमल लाखोटिया।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भैरू सिंह—क्या वह अब भी उप-सरपंच के पद पर काम कर रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे खयाल से कर रहा है !

Page No 42

श्री भैरूंसिंह—आप साफ बता दें कि काम कर रहा है या नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २००

सवाई माननगर टाउन इम्प्रूवमेन्ट योजना, झुन्झुनू में गवर्नमेंट हाई स्कूल बनाने हेतु ली गई भूमि का मुआवजा

श्री भैरूंसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई माननगर टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम झुन्झुनू में गवर्नमेन्ट हाई स्कूल बनाने के लिये सेठ चिरन्जीलाल टीबडेवाल, झुन्झुनू की जमीन जयपुर लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट के मातहत कौनसी तारीख को ली गई? उक्त जमीन का रकबा क्या है?

(ख) उक्त जमीन के मुआवजे के बारे में क्या कार्यवाही अब तक हुई?

(ग) उक्त महानुभाव को कितने रुपये मुआवजे के दिये गये? यदि नहीं तो क्यों?

(घ) सरकार इस विषय में उक्त व्यक्ति को उसकी जमीन का मुआवजा कब तक अदा करने का विचार रखती है?

श्री सम्पतराम—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का सम्बन्ध राजस्व मंत्री से नहीं है। इसका सम्बन्ध स्वायत्त शासन मन्त्री से है वे इसका जवाब अपनी टर्न पर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे मालूम नहीं था कि यह प्रश्न मेरा है। यह मेरे पास आया नहीं।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, आप इसका उत्तर देने के लिये तारीख मुकर्रर कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—(श्री बद्रीप्रसाद को संबोधित करते हुए) आप बता दें कि आप इसका उत्तर कब दे रहे हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्ष, मेरे पास जब यह प्रश्न आवेगा तब इसका उत्तर डिपार्टमेन्ट से मंगाऊंगा।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न एडमिट हो गया है। अगली टर्न का इन्तजार करना गलत बात है। आप इस पर निर्णय दें कि इस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री कब देंगे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं इसका उत्तर परसों दे दूंगा, मगर जवाब आने में समय लगेगा। आप लास्ट डेट ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—(राजस्व मंत्री को संबोधित करते हुए) देखिये आपके पास इसका उत्तर हो तो दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि स्वायत्त शासन मंत्री इसका उत्तर अपने टर्न पर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—आप ही अपने कागजों में देखिये, कहीं इसका उत्तर मिल जावे ।

(श्री बद्रीप्रसाद को संबोधित करते हुए), कल पर रख दें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जवाब तो डिपार्टमेन्ट में भेज कर मंगाना ही पड़ेगा,

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है, २६ तारीख रख दें । जवाब टेलीफोन से मंगा लें ।

प्रश्न संख्या २०१

झुन्झुनू जिले में पंचायत इन्सपेक्टर श्री धर्मवीरसिंह के विरुद्ध सलामपुर पंचों की शिकायतें एवं सलामपुर के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री भैरूं सिंह (१६)—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के पास झुन्झुनू जिले के पंचायत इन्सपेक्टर श्री धर्मवीरसिंह के विरुद्ध सलामपुर के पंचों की ओर से कोई शिकायत प्रस्तुत हुई कि उक्त इन्सपेक्टर सलामपुर के सरपंच का स्वाध्यांयी होने के नाते पक्षपात करता है और सलामपुर पंचायत में पंचों द्वारा प्रस्तुत किये गये सरपंच के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं होने देता ?

(ख) क्या सरकार ने उक्त शिकायत के प्राप्त होने पर इन्सपेक्टर शिवसिंह को १३ सितम्बर, १९५६ को सलामपुर पंचायत में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में निरीक्षण करने के लिये भेजा ?

(ग) क्या यह सही है कि १३-९-५६ को उक्त सरपंच के विरुद्ध सलामपुर पंचायत में केवल ११ सदस्यों की उपस्थिति में १० सदस्यों ने सरपंच के विरुद्ध से अविश्वास का प्रस्ताव पास किया?

(घ) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि सलामपुर की पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बावजूद भी उक्त धर्मवीरसिंह ने २२-९-५६ को सलामपुर में सरपंच के साथ जाकर मीटिंग करवाई और अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेने के लिये पंचों को दबाया और यह कहा कि यदि अविश्वास का प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे तो यह पंचायत भंग कर दूंगा ?

(ङ) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच के खिलाफ एक अविश्वास का प्रस्ताव पहले भी १६-८-५६ को पंचायत में आया था और वह सर्व सम्मति से पास हो चुका था ?

(च) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत का सरपंच सलामपुर से २० कोस मुकुन्दगढ हाई स्कूल में मुलाजिम है और वहां पर ही रहता है ?

(छ) क्या सरकार यह बतलायेगी कि उक्त सरपंच के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

Page No 44

श्री बद्रीप्रसाद—(क) केवल उप-सरपंच की ओर से शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। लेकिन राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा १९ (२) के अनुसार प्रस्ताव नियमानुसार न होने से गिर गया।

(घ) अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता जब कि स्ताव नियमानुसार न होने के कारण गिर चुका था।

(ङ) जी नहीं।

(च) जी हां। ऐसी सूचना अवश्य प्राप्त हुई है।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भैरूंसिंह—यह नियमानुसार नहीं था इसकी जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री बद्रीप्रसाद—मैंने अर्ज किया कि १५ में से १२ आदमियों की राय होनी चाहिये, वह नहीं थी इसलिये नियमानुसार नहीं था।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि वह प्रस्ताव नियमानुसार पास हो चुका था और शिवसिंह इन्सपेक्टर को निरीक्षण के लिये भेजा गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद—आप जानकारी दे रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह—मैंने अपने प्रश्न में ही इस बात का उल्लेख किया है।

श्री बद्रीप्रसाद—मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर भी धर्मवीरसिंह ने अपने निजी रिश्तेदार का पक्ष लेकर इस अविश्वास के प्रस्ताव को नियमानुसार नहीं होना बताया ?

श्री बद्रीप्रसाद—इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—आप जानकारी करके इसका उत्तर देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—फिर रख दें।

श्री भैरूंसिंह—यह किस कारण से हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद—यह किसी ने कर दिया होगा।

श्री भैरूंसिंह—दो इन्सपेक्टर हैं। शिवसिंह की मौजूदगी में यह प्रस्ताव अविश्वास का पास हुआ। दोनों इन्सपेक्टरों की रिपोर्ट में से किसकी रिपोर्ट सही मानी जावे।

Page No 45

श्री अध्यक्ष—यह भी बाद में ले लिया जावे ।

श्री बद्रीप्रसाद—मैंने इसका जवाब दे दिया है, कौनसी बात बाकी रही है ? मैं कल भी यही जवाब दूंगा ।

श्री भैरूं सिंह—दोनों में से कौनसी रिपोर्ट सही है, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री बद्रीप्रसाद—रिपोर्ट एक ही है ।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि यह इन्सपेक्टर शिवसिंह की मौजूदगी में पास हुआ था ?

श्री अध्यक्ष—२६ तारीख रख दें, जानकारी करके बता दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या १०४, श्री भैरूंसिंह ।

श्री भैरूं सिंह—प्रश्न संख्या १०४ ।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका जवाब कल दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—कल से आज पर आये और आज से फिर कल पर पोस्टपोन किया जाए ।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, इनके पास इन्फॉर्मेशन तो है मगर देना नहीं चाहते ।

श्री दामोदरलाल व्यास—I will give him a copy, whatever information I have.

राजस्थान एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान एक्साइज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए !

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बद्रीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान जागीरदार ऋण प्रहसन विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जागीरदार ऋण प्रहसन विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

Page No 46

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान जागीरदार ऋण प्रहसन विधेयक, १९५६ को प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक १६५६

अग्रेतर खंडशः विचार-विमर्श

श्री अध्यक्ष—Now, Bill for consideration. The Rajasthan Hindu Public Trusts Bill.

Clause 5, Amendment by Shri Chandmal Mehta

(श्री मेहता अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खंड ५ और ६ स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ५ और ६ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

खंड ७

श्री भैरूसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ७ में मेरा संशोधन इस प्रकार से है इसके उप-खंड (१) के आगे निम्नलिखित उप-खंड और जोड दिया जाय ।

"(१ए) धारा ६ के अन्तर्गत सहायक आयुक्त के निर्णयों से व्यथित कोई कार्यवाहक प्रन्यासधारी अथवा ऐसा व्यक्ति जिसका किसी हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास में या किसी ऐसी सम्पत्ति में जिसका प्रन्यास सम्पत्ति होना मालूम हुआ है हित हो, उपधारा (१) के अन्तर्गत सहायक आयुक्त के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित तारीख से ३ महिने के अन्दर ऐसे निर्णय को खंडित या संपरिवर्तित करने के हेतु आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अध्याय में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही को रेगुलेट करने की व्यवस्था की गई है वहां इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि रजिस्ट्रेशन के लिये एप्लीकेशन देने के साथ २ जो एक स्टेटमेन्ट पेश किया जायगा उस स्टेटमेन्ट की इन्क्वायरी के बाद जिस समय असिस्टेंट कंमिश्नर उस इन्क्वायरी के लिये फाईनल डिसीजन करेगा उसके बाद में वह उसकी सूचना अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगा देगा और उसके साथ २ उस ट्रस्ट के मुख्य स्थान पर वहां के नोटिस बोर्ड पर सारे गांव की जानकारी के लिये उस नोटिस को चस्पा किया जायगा। उसके बाद में आगे चल कर धारा ८ में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि सहायक आयुक्त के निर्णयों के विरुद्ध शिकायत करनी हो तो वह

[श्री भैरूंसिंह]

अपील कर सकता है। उसके लिये यह प्रोवीजन है कि किसी सिविल कोर्ट में जाकर उसके लिये रेमेडी सीक करे। मेरा यह निवेदन है कि सिविल कोर्ट में जाने के पहले कुछ हद तक एक्जीक्यूटिव लाइन पर उसको तय कर लिया जायगा तो ठीक रहेगा। जहां असिस्टेंट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया गया वहां मेरे खयाल से हमें इस बात का अधिकार मिलना चाहिये अगर उसके द्वारा कोई गलत एन्ट्री करदी है या किसी संपत्ति को अधिक दर्ज कर दिया गया है तो उसके इस प्रकार के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, उसके लिये सिविल कोर्ट में जाने का मतलब होगा इसको लम्बे लिटीगेशन में डालना। इसलिये मैं चाहता हूं कि उसके निर्णय के विरुद्ध अपील करने का जहां प्रोवीजन स्वीकार करते हैं वहां अपील इमीजियेट आफिसर के पास जा सके, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद अगर उस मामले को सिविल कोर्ट में लेजाया गया तो जिस प्रकार अन्य मुकदमें चलते हैं, कोर्ट में वकील की आवश्यकता होती है और भी कई प्रकार के पैरोकार नियुक्त किये जावेंगे जिससे ट्रस्ट पर एक अतिरिक्त भार पडेगा इस प्रकार के वकील और पेरोकार आदि को महनताना देने का, इसलिये मेरा निवेदन है कि असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर जो एक्जीक्यूटिव आफिसर होगा उसके समक्ष ट्रस्टीज वह मामला पेश कर सकते हैं। इसलिये सहायक आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था करते हैं वहां हमें उच्च आयुक्त के पास अपील करने की व्यवस्था कर देनी चाहिये। इससे लिटीगेशन भी बचेगा। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं यह मेरा प्रस्ताव वाजिब है माननीय राजस्व मंत्री इसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

राज श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस संशोधन को मान लेने से लिटिगेशन बचेगा। जबकि असिस्टेंन्ट कमिश्नर के ऊपर अफसर मौजूद है उस हालत में पहले उस आफिसर को उस अपील पर निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये। जब वह कमिश्नर के पास अपील जावे उसी पर फैसला हो जाना चाहिये। लिटिगेशन से बचने के लिये यह संशोधन वाजिब है इसे माननीय राजस्व मंत्री जरूर स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, अपील प्रोवाइड करने के बारे में जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार करता हूं। यह ७ ए में नहीं आयेगा बल्कि जहां अपील का सेक्शन आया है इमीजियेटली उसके बाद में यह आ सकता है धारा ६ है उसके नीचे ६ ए और हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—यह किस रूप में होगा ?

श्री व्यास—क्लॉज ६ के अन्तर्गत सहायक आयुक्त के निर्णयों से व्यथित कोई कार्यवाहक प्रन्यासधारी अथवा ऐसा व्यक्ति जिसका किसी हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास में या किसी ऐसी सम्पत्ति में जिसका प्रन्यास सम्पत्ति होना मालूम हुआ है हित हो इस तरह उप-क्लॉज (१) जो है वह नहीं रहेगा। जब सेक्शन ७ में कोन्सीक्वेन्सेज हैं, निर्णय हो जाने के बाद रजिस्टर में एन्ट्रीज करेंगे उसके अपने निर्णय देने के बाद अपील का प्रोवीजन जो उप-क्लॉज (१) में है वह क्लॉज ६ के बाद ६ए के रूप में आयेगा।

Page No 48

श्री अध्यक्ष—इसमें जिस "व्यथित" शब्द का प्रयोग हुआ है the word is too literary. Any way, instead of three months, two months time for appeal has to be provided ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जहां तक लेंग्वेज का सवाल है the language is all right. जहां तीन महिने की व्यवस्था है वहां दो महिने हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ के बाद भैरोंसिंहजी का संशोधन क्लॉज ६ ए नया जोड़ने सम्बन्धी स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। क्लॉज (६ ए) विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

खंड ८

श्री भैरू सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मेरा संशोधन है वह कोनसीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है। आशा है माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

मेरा संशोधन यह है कि "उप-खंड (१)—शब्द और अंक 'क्लॉज ६' के स्थान पर शब्द और अंक "क्लॉज ६ ए" प्रतिस्थापित किये जायें तथा 'सहायक' शब्द को विलोप किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह कोनसीक्वेन्शियल चेन्ज है मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८, संशोधित रूप में, विधेयक में अंगरूप से जोडा गया।

(विराम)

Page No 49

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज ९

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड ९ में मेरा संशोधन यह है :—

"उप-खण्ड (१) पहली पंक्ति में "प्रविष्टियों" तथा "में" शब्दों के बीच में शब्द "के सम्बन्धी विवरणों" जोड़ दिये जाएं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इन शब्दों के कारण ये हैं कि इसके बिना इस धारा का पूरा स्पष्टीकरण नहीं होता।

इस क्लॉज की ऊपर की लाइन में लिखा है :—

"यदि पंजिका में अभिलिखित प्रविष्टियों में से किसी में कोई परिवर्तन होता है, लिस्ट में परिवर्तन होता है, किसी में से कोई परिवर्तन होता है, यह अस्पष्टीकरण है। इस लिस्ट की एन्ट्रीज में परिवर्तन होता है······"

श्री अध्यक्ष—All the technical·

श्री भैरूं सिंह—ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय। आगे देखें तो और भी स्पष्ट है।

"तो कार्यवाहक प्रन्यासधारी, ऐसे परिवर्तन होने की तारीख से ९० दिन के अन्दर अथवा यदि ऐसे सार्वजनीन प्रन्यास के प्रशासन के हितार्थ ऐसी प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन वान्छनीय है तो, कार्य-वाहक प्रन्यासधारी निर्धारित रीति से ऐसे परिवर्तन या प्रस्तावित परिवर्तन के लिये सहायक आयुक्त को प्रतिवेदन करेगा या कर सकता है।"

अब इसकी लिस्ट तो है। इसमें अनोमोली है या और अमेन्डमेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—Entries contain everything.

श्री दामोदरलाल व्यास—पंजिका में अभिलिखित प्रविष्टियों "whether any change in any of the entries recorded in the register".

श्री भैरूं सिंह—एन्ट्रीज में विवरण भी तो है न। एक एन्ट्री पूरी नहीं होती है। मान लीजिये एक सूची में मकान का पूरा विवरण दिया हुआ है····

श्री अध्यक्ष—Leave it to the legal experts for drafting.

श्री भैरूं सिंह—मैं थोडा अर्ज कर दूं ताकि स्पष्ट हो जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—"प्रविष्टि" का मतलब एन्ट्री ही का है। "Entries" mean every thing contained in the register.

श्री अध्यक्ष—ये विवरण चाहते हैं उसका।

(श्री भैरोंसिंह से) प्रेस करते हैं इसको ? (श्री भैरोंसिंह से मौन अस्वीकृति प्राप्त होने पर) नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ९ स्वीकार किया गया। क्लॉज ९ बिल का अंगभूत स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज १०

श्री हिम्मतसिंह—अमेन्डमेन्ट था उसमें, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—Amendment not pressed.

(विराम)

क्लॉज १०, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरूं सिंह (१६)—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि क्लॉज १० का लोप किया जावे।

क्लॉज १० के द्वारा सहायक आयुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि क्लॉज ९ या क्लॉज ७ के अन्तर्गत पंजिका में प्रविष्टियां की जाने के बाद किसी समय सहायक आयुक्त को ऐसा प्रतीत होता हो कि किसी हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास सम्बन्धी कोई भी बात जो क्लॉज ५ या ९ के उप-क्लॉज (२) की जैसी भी स्थिति हो के अन्तर्गत जांच की विषय वस्तु नहीं थी, जांच करने से रह गई है, तो सहायक आगे और जांच कर सकता है, अपने निर्णयों का अभिलेखन कर सकता है तो सहायक आयुक्त आगे और जांच कर सकता है अपने निर्णयों का अभिलेखन कर सकता है और किये गये निर्णयों के अनुसार पंजिका में प्रविष्टियां कर सकता है। क्लॉज ६, ७, ८ और ९ के प्रावधान, यथा सम्भव इस क्लॉज के अन्तर्गत की गई जांच, निर्णयों के लिये गये अभिलेखन, और पंजिका में प्रविष्टियों के करने पर, लागू होंगे।

(श्री जवान सिंह, सभापति, पदासीन)

तो माननीय सभापति महोदय, यह क्लॉज १० पंजीयन के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त द्वारा क्लॉज ६, ७ में जो जांच की गई है उस जांच के निर्णयों के ऊपर जांच करने वाले उसी अधिकारी को दुबारा अधिकार देता है कि उस जांच में किसी भी प्रकार का स्वयं चाहे उसके अनुसार परिवर्तन कर ले। कहने को तो यह बहुत अच्छी बात मालूम होगी कि जिस आधार पर जांच की है और जिस अधिकारी ने जांच की है वह अधिकारी उस मामले को आगे ज्यादा लिटीगेशन में न फंसा कर अगर अपनी जानकारी पहले जो की उसके अन्दर कोई कमी देखे या जरूरी समझे तो उसकी दुबारा जांच प्रारम्भ कर दे और इस के बाद नतीजे पर पहुंचे कि जो एन्ट्रीज की गई हैं उनमें किसी प्रकार की गलती

[श्री भैरूंसिंह]

हुई है, जो जांच पहले हुई है उसके सम्बन्ध में कुछ बातें और रह गई हैं या ऐसी बातें भी हुई हैं जिनकी जांच करना ही आवश्यक नहीं था तो अपने पहले वाले डिसीजन को बाद में सुधार ले। मैं दावे से कहता हूं कि यह जूडीशियल पोइन्ट आफ व्यू से बिल्कुल असगंत और अन्यायमूलक धारा है। यह कहां को बात है कि दुबारा जांच करके कुछ दिनों के बाद अपने दिये गये निर्णय को बदलने की कोई अधिकारी स्वयं ही चेष्टा कर ले। कहने को आपने दो पाबन्दियां डाली हैं और दोनों पाबन्दियां अगर फरजी रूप में की गई तो इन दोनों को ही किसी भी काम के लिये यह बहाना बनाकर कि अमुक प्रकार की इन्क्वायरी करने की आवश्यकता नहीं थी वह कर ली गई है या और इन्क्वायरी करने की आवश्यकता है इसलिये दुबारा इन्क्वायरी की जाती है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अधिकांश अधिकारियों के बारे में आज इस बात की भी शिकायत है कि कई पार्टी पोलिटिक्स से दब कर ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के कारण से भी अपने निर्णयों को बदल रहे हैं····

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सही नहीं है····

श्री भैरूं सिंह—सुनते जाइये, मैं नजीरें भी पेश करूंगा कि फैसले किस तरह से बदले जाते हैं? आप सब्र करिये। यह आप ऊपर से भले ही न मानें, दिल आपका भी जानता है।

तो सभापति महोदय, इन दोनों कारणों से भी यदि किसी भी सहायक आयुक्त को आवश्यकता हुई कि हमने किसी ट्रस्ट की प्रोपर्टी की लिस्ट बनाई है उसमें से हमें कुछ ऐसे विवरण या ऐसे मकान जायदाद या किसी भी प्रकार की कोई सम्पत्ति इस लिस्ट से मुक्त करनी है या हमें उस लिस्ट में जो सारी सम्पत्ति का विवरण दिया है उसमें कुछ और चीजें अपने किन्हीं कृपापात्रों को खुश करने को शामिल करनी हैं तो इस कार्यवाही के लिये दुबारा एन्क्वायरी करने का नोटिस देगा।

हमने जब एक व्यवस्था कर दी कि सहायक आयुक्त जो निर्णय देता है, उसमें अगर किसी को एतराज है तो वह आयुक्त के यहां अपील कर सकता है और अपना एतराज वहां पेश कर सकता है, अगर आयुक्त के निर्णय से भी वह सन्तुष्ट नहीं है तो कोई भी पार्टी उसके आगे सलाहकार बोर्ड में अपनी अपील कर सकता है और अगर उससे भी उसको सन्तोष न मिले तो उसके भी आगे जाकर सरकार के सम्मुख अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। जब हमने यह व्यवस्था कर रक्खी है तो फिर क्या आवश्यकता होगई कि सहायक आयुक्त ने जो एक बार निर्णय दे दिया तो फिर हम उसको यह दुबारा अधिकार दें कि अपना वह पूर्व का निर्णय इन दो बातों की आड़ में फिर बदलने का स्वयं ही प्रयत्न करे?

मैं नजीर के रूप में बताऊंगा कि राजस्थान के इस सैटलमेंन्ट विभाग में एक एडीशनल कमिश्नर थे, जो आजकल भीलवाडा में कलक्टर हैं। उन्होंने एक तहसील दांता रामगढ में एक गांव के काश्तकार और जागीरदार के झगडे में एक फैसला दिया और वह फैसला २१ तारीख को किया गया और २४ तारीख को उसमें परिवर्तन कर दिया, क्लर्क को बुलाकर कहा गया कि वह इस फैसले में यह बात जोड़ कर वही तारीख लगा दे जो फैसले की तारीख थी। उस क्लर्क बिचारे ने उस समय तो हां

[श्री भैरूंसिंह]

भरने को तो भर ली पर बाद में सोचा कि अगर दूसरी पार्टी को मालूम हुआ और उसने शिकायत करदी तो क्या होगा ? इससे डर कर उसने उस फैसले के नीचे वही तारीख नहीं लगाकर २४ तारीख ही लगा दी। बदकिस्मती से उस फैसले की नकल मेरे पास इस समय नहीं है ! आवश्यकता हुई तो मैं वह फैसला भी प्रस्तुत करूंगा । तो जहां ऐसे फैसलों के द्वारा एक कुए की रेट पहले फैसले में २००) तय करते हैं वहां दूसरे फैसले के अनुसार उसी कुए की लगान २५०) हो जाती है। जहां इस प्रकार का अन्धेर होता हो वहां उन्हीं अधिकारियों को अपने ही फैसलों में परविर्तन करने के अधिकार देना सरासर अन्याय है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वे निश्चय ही अपने ऐसे अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे स्वेच्छा से भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर या अपने कृपापात्रों को खुश करने के लिये या अपने उच्चाधिकारियों की पार्टी पोलिटिक्स से दब कर।

ऐसी स्थिति में केवल इतनी दलील कि ज्यादा मुकद्दमेबाजी में फंसना या जनता को फंसाना नहीं चाहते, कोई महत्व नहीं रखती। आप उनको अपील की गुन्जाइश नहीं देना चाहते और अपने निर्णयों में स्वयं ही परिवर्तन करने का अधिकार देकर धांधली मचाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि न्याय की दृष्टि से, जूडिसियल पोइन्ट आफ व्यू से भी उपयुक्त नहीं है, अन्यायकारक है। जब एक ने फैसला दे दिया एक बार तो चाहे सही दिया हो या गलत दिया हो उस अधिकारी को फिर कोई अधिकार नहीं होना चाहिये कि उसमें रद्दोबदल करदे। यदि उस फैसले में रद्दोबदल करना ही है या कराना ही है तो सम्बन्धित पार्टी अपील कर सकती है, उसका इस बिल में प्रोवीजन है। उस अधिकारी को पहले ही काफी सोच समझ कर फैसला देना चाहिये। मैं यह भी कहता हूं कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा अधिकार कहीं भी किसी भी अधिकारी को नहीं दिया गया है कि फैसला करने वाला अधिकारी स्वयं ही अपने निर्णय में परिवर्तन कर ले, उसकी कोई मियाद नहीं। यह भी नहीं कि पांच दिन में अगर उसको गलती मालूम हो गई और इस बीच में वह दुरुपयोग करना चाहता हो तो करदे। ६ महीने में मालूम हो जावे तो करदे। पर बिना मियाद जब चाहे तब अधिकार हो कि वह कर दे। दो बातों में से किसी बात का बहाना लेकर जब चाहे तब वह एन्क्वायरी शुरू करदे और अपना फैसला बदल ले। तो ऐसी स्थिति में मैं यहीं कहूंगा कि आज की भ्रष्ट प्रशासनिक मशीनरी से हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे ईमानदारी से काम करेंगे। सारे ही अधिकारी तो छोड़ो कुछ अधिकारी भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो बिलकुल ईमानदार होंगे यह भी आशा बहुत कम है। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसे भी अधिकारी होंगे की हैरेसमेन्ट को अपनी हैरेसमेन्ट समझेंगे और उनके मामले जल्दी से जल्दी निपटाने की चेष्टा करेंगे।

वैसी सूरत में हम यह कह सकते हैं कि हम ऐसे लोगों के हाथ में इस प्रकार के अधिकार नहीं दें कि जिन अधिकारों का दुरुपयोग होने का डर हो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से क्योंकि वह स्वयं एक वकील रहे हैं कि कोई अपील की गई है, किसी सरकारी अधिकारी के फैसले के खिलाफ तो यदि वह अपने इत्मिनान के ढंग से काम लेगा तो फैसला न्यायसंगत नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के फैसले को न्यायसंगत बनाने के लिये और ट्रस्टीज के साथ में कोई अन्याय नहीं हो सके इस तरह की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक है कि इस प्रकार के सहायक आयुक्त को

[श्री भैरूंसिंह]

कोई अधिकार नहीं मिलने चाहियें। इस बात को लेकर ही मैंने यह संशोधन सदन की अनुमति के लिये और खास तौर से माननीय राजस्व मन्त्री की अनुमति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--सभापति महोदय, यह संशोधन जो इसको डिलीट करने के लिये रखा गया है वह बहुत ही वाजिब संशोधन है। जब आप ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जानबूझकर प्रवृत्तियों के अन्दर कोई गलतियां रह गई हों, खामियां रह गई हैं तो उसकी अपील कमिश्नर के पास जायगी और कमिश्नर के बाद फिर कुछ नहीं रहता है और फिर आगे जाकर न्यायालय है और न्यायालय में वहां पर फैसला हो जायगा और उससे और भी साफ हो जायगा। इतना होते हुए भी क्लॉज १० के मुताबिक यह अधिकार दिया जाय कि असिस्टेन्ट कमिश्नर मरजी चाहे तो उसके अन्दर जांच करना शुरू कर दे। यह ताज्जुब की बात है बच्चों का सा खेल हो गया यानी काता कूता कपास हो गया। ऐसे प्रोवीजन इसके अन्दर रखने से क्या फायदा है? जो किये हुए काम हैं, जो नियम के बिना पर हो सकते हैं वह फिर किये जायं। इसलिये इसको डिलीट करने की बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर महोदय इसको डिलीट कर देंगे।

श्री चांदमल मेहता--माननीय चेयरमेन, क्लॉज १० पर जो संशोधन पेश किया गया है मैं भी उसका समर्थन करना चाहता हूं। उस संबंध में अधिक निवेदन नहीं करते हुए मैं खास तौर से एक ही बात, माननीय चेयरमेन महोदय, आपके मारफत राजस्व मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस बिल पर ड्राफ्टिंग करते वक्त अधिकांश धाराओं में उनको लिया गया है जो कि बंबई में हैं और बंबई में जो इस तरह का कानून बना है वह बहुत सोच समझकर बना हुआ है और जिस तरह का क्लॉज यहां रखा गया है बम्बई के कानून में इस तरह क्लॉज बिल्कुल नहीं है। इस तरह का क्लॉज रखने का एक ही नतीजा हो सकता है कि अधिकारी की स्वेच्छाचारिता में अधिक बढावा कर रहे हैं। वह अधिकारी यदि करप्ट हुआ और वह अधिकारी यदि चाहे तो अपनी ओर से किसी प्रन्यास के जो ट्रस्टीज हैं उनको परेशान कर सकता है। एक बार परेशान उस वक्त हुए जब कि प्राथमिक जांच करने के लिए कार्यवाही हुई और जांच करने के बाद उसने अपनी फाइंडिंग्स दे दीं लेकिन फिर भी कोई किसी कारण से अगर वह चाहे कि किसी को परेशान करना है तो दुबारा उस संबंध में कार्यवाही करने की स्थिति पैदा कर सकता है, और स्वयं नहीं चाहे तो यह भी मुमकिन है कि किसी दबाव या प्रभाव के जरिये से उस अधिकारी को ऐसा करने की नौबत आ जाय जब कि असिस्टेन्ट कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील का प्रोवीजन है और सारी चीज मौजूद है तो कोई वजह नहीं है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर एक बार फैसला करदे और दुबारा उसको अधिकार दिया जाय कि उसके फैसले को चेन्ज करे। अगर चेन्ज करने की आवश्यकता है तो आगे का रास्ता खुला है। जो चेन्ज कराना चाहेंगे वह आगे जायेंगे और उस अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यह मौका आया है कि माननीय राजस्व मंत्री महोदय यह कहा करते हैं कि इस बिल को दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में अधिक लिबरल बनाने की कोशिश की है, यहां ऐसा कहने की कोशिश की है कि जितना संभव हो सकता है उतनी सुविधा देने को तैयार हैं, तो माननीय राजस्व मंत्री के पास यह मौका है कि इस तरह के अधिकार किसी प्रान्त में नहीं हैं। बम्बई का जो एक्ट है उसमें भी ऐसी बात

[श्री चांदमल मेहता]

नहीं है। तो माननीय राजस्व मंत्री महोदय जो संशोधन दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और उस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। इस आशा के साथ मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, इस सदन के समक्ष मेरे दांता रामगढ़ से आये हुए मित्र ने जो धारा १० को लोप करने का संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। सभापतिजी, आज हम एक विचित्र सी चीज के दरम्यान में से गुजर रहे हैं। आज हमको यह देखना है कि हमारी सरकार किस प्रकार की क्या क्या कार्यवाही कर रही है ? धारा १० के अन्दर सरकार सहायक आयुक्त को यह अख्त्यारात देना चाहती है कि सहायक आयुक्त अगर कोई लिस्ट बना लेता है और उसमें उसको गड़बड़ दीखे तो उस लिस्ट को बदल भी सकता है। उसे देखने की यह बात बहुत सीधी सादी मालूम होती है, चेयरमेन महोदय, लेकिन इसका नतीजा क्या होने वाला है, यह बात देखने की है।

पहली बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सिलसिले में वह यह है सभापति महोदय, कि हमने सहायक आयुक्त के फैसले की अपील का प्रोवीजन पहले ही रख दिया। जब अपील का प्रोवीजन हमारे पास मौजूद है तो फिर इस फैसले को, उसी फैसले को, अपने खुद की जांच की हुई चीज को बदलने का अधिकार क्यों दिया जाय ? इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मैं आपके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अगर इस धारा को रखा जायगा तो इसका नतीजा यह होगा कि किसी प्रन्यास की कोई लिस्ट जो बनाई जायगी उस लिस्ट में किसी को कोई कमी करवानी होगी तो उन सहायक आयुक्त महोदय को कुछ पैसे देदे और पैसे देने के बाद में लिस्ट में कमी बेशी की जायगी। मैं यह समझता हूं कि आज के युग के अन्दर हमें पात्र और कुपात्र की तरफ ध्यान अवश्य देना चाहिये। यह मेरी निश्चित धारणा है कि जैसा कि आज सुबह, अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), हम देख रहे थे कि मंत्राणीजी के रिश्तेदारों को हजारों रुपये का कर्जा दिया गया और चमड़े के काम के लिये दिया गया (घंटी) चेयरमेन महोदय, क्यों हम इस सरकार पर शंका करते हैं यह बात बताना चाहता हूं ......

श्री सभापति—वह डिस्कस हो चुका है मामला।

श्री मानसिंह महार—बिल्कुल हो चुका है। मैं निवेदन कर रहा था लेकिन मुझे एक सेकन्ड की इजाजत दें .....

श्री सभापति—लेकिन इसी प्रसंग पर बोलें आप।

श्री मानसिंह महार—बिल्कुल इसी प्रसंग पर।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर इस प्रकार की हम आगे जांच करेंगे और सुविधा इनको दे देंगे तो उसमें बहुत गड़बड़ होगी। इस गड़बड़ी में यह होगा, अब मैं स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दूं कि गड़बड़ी इस प्रकार की होगी कि कोई प्रन्यास ऐसा हुआ कि जिसके कर्णधार जो भी होंगे वह अगर

[श्री मानसिंह महार]

सरकार विरोधी हुए और वे सरकार का विरोध करेंगे तो उनको परेशान करने के लिये इस प्रकार से इतने दिनों तक जांच की जायगी कि वह बेचारा हैरान हो जायगा और हैरान होकर उनको इस बात के लिये बाध्य होना पड़ेगा कि वे भी सरकार का समर्थन करें। जो सरकार की हां में हां मिलायेगा उनकी लाखों की संपत्ति जो आंकी जायगी तो वह १०-२० हजार कर दी जायगी लेकिन जो सरकार के विरोधी होंगे उन विरोधियों पर कुठाराघात किया जायगा। उनके साथ अन्याय किया जायगा। उनके साथ अन्याय करने में उनकी जांच करते २ उनको बिला वजह से परेशान किया जायगा। आज के युग के अन्दर हम यह सोचें कि यह तो सीधी सी बात है। जैसा कि मंत्रीजी जवाब देंगे मैं जानता हूं कि वे यही कहेंगे कि गड़बड़ रहेगी तो आगे जांच क्यों न की जाय ? क्यों न सहायक आयुक्त के हकों की गड़बड़ रहेगी तो क्या आप गड़बड़ को छिपाना चाहते हैं ? हम गड़बड़ी को, छिपाना नहीं चाहते चेयरमेन महोदय। हम उस घोटाले से बचना चाहते हैं जो घोटाला आप प्रतिदिन पाते हैं, जो घोटाला आप अपने कृपापात्रों को बढ़ावा देने के लिये करते हैं, जो घोटाला आप अपने पतिदेव को बढ़ावा देने के लिये करते हैं, जो घोटाला आप अपने बहनोई को बढ़ावा देने के लिये करते हैं। उससे इन को बचाना चाहते हैं। तो मेरा यह निवेदन था चेयरमेन महोदय, अभी हमारा यह सौभाग्य है चेयरमेन महोदय, कि अभी पतिदेव एक ही हैं इन बेन्चेज पर और पतिदेव बाहर एक ही हैं। अगर सब पत्नीदेव यहां आकर बैठेंगीं और बढ़ावा देंगी तो हमारा सब काम ठप्प हो जावेगा यह चेयरमेन महोदय मेरी धारणा है। आज ऐसी सिफारिशें हो रही हैं, बालोतरा के एक वकील महोदय को पब्लिक प्रोसिक्यूटर······

(घंटी)

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—प्रसंग से च्युत न होइये। आपको बार २ मुझे याद नहीं दिलाना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—चेयरमेन महोदय, टु दी पोइंट (to the point) अर्ज कर रहा हूं। इस धारा १० को विलोपित कर दिया जाय। ऐसा तो मानते नहीं है। सही सही बातें सामने न लायी जायं और उनका विवरण न दिया जाय तो बोलना ही फिजूल है क्योंकि ध्यान ही नहीं देते। राजस्व मंत्रीजी कहते हैं, मुंह मरोड लेते हैं फिजूल समय वेस्ट होता है, ऐसी बात है चेयरमेन महोदय।

एक गरीब राजपूत को अपोइन्टमेन्ट मिल गया। मिलने के बाद क्या होता है कि जब मैं कल गवर्नमेन्ट होस्टल गया था तो मैंने देखा कि एक जाटों का बड़ा भारी डेपूटेशन आया था कि होम मिनिस्टर से कहेंगे कि उनका अपोइन्टमेंट नहीं होना चाहिये। आज के युग में, जाट, राजपूत का सवाल नहीं होना चाहिये। धर्मस्थानों में भी, मुझे यही भय होता है, धर्म के मामलों में जाटों के बनिस्बत राजपूतों की ज्यादा आस्था है और ब्राह्मणों में आस्था उठ रही है और यह शर्म की बात है कि आज के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे हैं और व्यास मुनि हैं, जो इस बिल को पास कराने के लिये बैठे हैं वे 'व्यास' शब्द का अपमान कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं। वे ऐसी कार्यवाही करें और हम राजपूत लोग धर्म की रक्षा के लिये कुछ करते

[श्री मानसिंह महार]

हैं तो राजपूतों के नाम पर धार्मिक स्थानों के प्रति अन्याय न हो । यही नहीं राजपूतों की वजह से ये स्थान इतने ऊंचे उठे हैं । राजपूत गोपीनाथजी के मंदिर में भेंट पूजा चढ़ाते हैं इसीलिये महन्त को परेशान न किया जाय । इसलिये हम यह चाहते हैं कि इस धारा १० को विलोपित कर दिया जाय । मैं आशा करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसको नहीं टालेंगे अगर नहीं तो यह पत्नी, साला बहनोई वाली बात मंदिरों में आजावेगी । अगर ये न आवें तो अच्छा है । लेकिन हमारा भय ठीक है । हरिजनों को देख लीजिये । चेयरमेन महोदय, पति-पत्नि, साले-बहनोई, जाट-राजपूत सारी बातें आजाती हैं । तो आज इस युग में इस प्रकार का पक्षपात न हो तो अच्छा है । एक गरीब वकील को अपोइन्टमेन्ट मिल गया, उसकी वकालत ठप्प हो गई और अगर सरकार दुबारा रिवोक करने की बात सोचती है तो ऐसी अन्यायपूर्ण बातें नहीं होनी चाहिये । सरकार को पक्षपात से परे रहना चाहिये। लेकिन यह सरकार वो सरकार नहीं है जैसी कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में सरकारे हैं, उनके प्रति वहां की जनता को विश्वास है, जहां की जनता मिनिस्टरों की इच्छा की पूर्ति, रिश्तेदारों को बढ़ावा नहीं देती, जहां की जनता जातिवाद को नहीं जानती, यह बातें होते हुए भी जब राजस्थान में इस तरह की पक्षपात की बातें होती हैं तो क्लॉज १० जैसी अन्यायपूर्ण क्लॉज को बर्दाश्त नहीं कर सकते । मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आयन्दा चल कर नेक नीयती का सबूत दें । आगे पांच वर्ष में या दो वर्ष में, हालांकि कौन जानता है कि वे मंत्री रहें या न रहें चेयरमेन महोदय, उनकी जगह और होंगे या और कोई सरकार होगी, इसमें अमेन्डमेन्ट लाकर धारा रख दी जावेगी तो मैं मान लूंगा लेकिन जब तक इस प्रकार की बात न हो तब तक इस राज्य के अन्दर जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनकी रक्षा की क्या उम्मीद कर सकते हैं, जैनियों के मंदिरों में लाखों की संपत्ति है उसकी रक्षा की क्या उम्मीद कर सकते हैं ? जब कि जो क्लॉस शिड्यूल्ड कास्ट है, बेक वर्ड है, ऊंचा उठाये और चमड़े के कारखाने खोल कर जाट जाट को भरपूर ऋण दे उस सरकार से क्या उम्मीद की जावेगी कि वह मंदिरों की और मठों की रक्षा करेगी, सवर्ण हिन्दुओं के मन्दिरों की वह रक्षा करेगी, उनकी सम्पत्ति की रक्षा करेगी । वहां भी जाट-वाद का बोलबाला हो जावेगा, वहां भी पति-पत्नीवाद का बोलबाला हो जावेगा, वहां भी साले-बहनोईवाद का बोलबाला हो जावेगा । हमारे जो मंदिर हैं, मठ हैं, जैनियों के जो मंदिर हैं उनका सर्वनाश हो जावेगा, उनकी उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जावेगा । उनमें भी पार्टी पोलिटिक्स आजावेगी । कहीं जाटवाद, राजपूतवाद आजावेगा, हिन्दूवाद, जैनवाद आजावेगा । जो सरकार अधःपतित हो , जो इस प्रकार से डूबी हुई हो, एक व्यक्ति विशेष के बहनोई को पांच सौ रुपये में रख सकती है (घंटी) उस सरकार से हम यह आशा नहीं रख सकते कि वह हमारे मंदिरों की उन्नति करेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि इस क्लॉज (१०) का लोप होना चाहिये । दांता रामगढ़ से आये माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार करना चाहिये और उम्मीद करूं कि राजस्व मंत्रीजी तो उसको किसी प्रकार से ना नहीं करेंगे ।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय सभापति महोदय, दांता रामगढ़ से आये माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब को यह पावर दे दी गई है, जब इस बिल के विधान में रख दिया गया है कि उनके आर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकेगी तो फिर उन्हीं असिस्टेंट कमिश्नर साहब को यह अधिकार दिया

[श्री जगतसिंह झाला]

जाय कि वे उसकी फिर से जांच कर सकते हैं यह न्याय की दृष्टि से हितकर नहीं है। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो सोच विचार कर ही कानून बनाना चाहिये। अगर उन्हीं व्यक्तियों को जो एक मामले में अपनी पहले राय दे चुके हैं दुबारा जांच के लिये उन्हीं को दें तो यह निश्चित सा है कि उस मामले पर पार्टी का हस्तक्षेप होगा, पार्टी इन पॉवर और राजनीति का उस पर दबाव आवेगा और इस कारण से उस मामले में गड़बड़ी हो सकती है। मंदिर पवित्र चीज है और वहां पवित्रता से ही काम करना चाहिये। अगर उनकी गलती है तो उसकी अपील हो जानी चाहिये लेकिन उन्हीं को अधिकार देना कि वह उसकी वापिस जांच करे यह एक अशोभनीय बात होगी। सरकार को केवल प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। राजस्व मंत्री उनके हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे इसको प्रतिष्ठा का सवाल मानते हैं और वे इस धारा को हटाने के लिये स्वीकार नहीं करेंगे। इस धारा के कारण जो नुकसान होता हुआ प्रतीत होता है उसको उन्हें महसूस करना चाहिये और हम जो सुझाव देते हैं उनको उन्हें मानना चाहिये। सोच समझ कर सुझाव दिये जा रहे हैं। इस धारा को इस बिल में से निकाल देने से कोई हर्ज नहीं होगा। जब यह अधिकार दे दिया है कि अपील हो सकेगी, फिर उसी अधिकारी को ही दुबारा जांच के लिये वह मामला दिया जाय तो उसमें घोटाला हो सकता है और मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से एक मामला वापिस उसी अधिकारी के पास नहीं जाना चाहिये। इसलिये मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर यह धारा इस बिल में से निकाल दी जावेगी तो यह मंदिरों के लिये हितकर होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं इस अमेन्डमेन्ट का पूरा विरोध करता हूं। और मेरा विरोध करने का कारण यह नहीं है कि मैं उन भावनाओं में बह गया हूं या मैंने इसको प्रेस्टिज का सवाल बना रखा है। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि इस धारा का रहना आवश्यक है क्योंकि माननीय सदस्यों ने महसूस नहीं किया है कि यह धारा क्यों रखी गई है ?

न तो असिस्टेंट कमिश्नर्स को आलरेडी पावर्स दिये गये हैं और न इस बात का प्रोविजन है कि चाहे जब अधिकारों का दुरुपयोग कर सकें। और बहुत सी बातें जो हमारे माननीय सदस्य जमुवा रामगढ़ से आये हैं, जिनका इस बिल या क्लॉज़ से संबंध नहीं है, उन बातों का जवाब देना बेकार सा है लेकिन जो एतराज इस क्लॉज़ के बारे में उठाये हैं उनका मैं उल्लेख करूंगा। इस धारा में है:—

"If at any time after the entries are made in the register under section 7 or section 9 it appears to the Assistant Commissioner that any particular relating to any Hindu Public Trust, which was not the subject matter of the inquiry under section 5 or sub-section (2) of section 9, as the case may be, has remained to be inquired into, the Assistant Commissioner may make further inquiry, record his findings and make entries in the register in accordance with the decision arrived at."

मतलब यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने जो पहले इन्क्वायरी की थी उसके अंदर कोई बात रह गई थी और अब उसका पता चला है तो अब दुबारा वह इस बात की इन्क्वायरी कर सकता है। मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूं कि किसी ट्रस्ट की प्रोपर्टी बम्बई, कलकत्ता या जयपुर में है और भी कई जगह है, ट्रस्टीज ने जिस समय ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाया उस समय कुछ प्रोपर्टी को तो इन्वेन्टरी में

[श्री दामोदरलाल व्यास]

दर्ज करा दिया और कुछ को कसील (Conceal) कर दिया या छिपा लिया और उसके अनुसार असिस्टेंट कमिश्नर के कार्यवाही करने के बाद उसके नोटिस में यह बात आई कि अमुक अमुक प्रोपर्टी ट्रस्ट की है जो छिपाली गई है । पहली कार्यवाही करने के ६ महीने बाद असिस्टेंट कमिश्नर के पास शिकायत आती है कि अमुक प्रोपर्टी बम्बई, जोधपुर, बीकानेर या और किसी जगह है जिसको कंसील (Conceal) कर लिया गया है और इन्वेन्टरी में दर्ज नहीं कराया है तो मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी यह मंशा है कि किसी आदमी ने बेईमानी के साथ कसील कर लिया है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाय ? क्या वह फैसला जो सेक्शन ९ में असिस्टेंट कमिश्नर ने दिया है उसको फाइनल माना जाय और असिस्टेन्ट कमिश्नर को यह अधिकार नहीं रहे कि जो प्रोपर्टी बेईमानी से छिपाई गई है उसकी वापिस इन्क्वायरी करके इन्वेन्टरी को दुरुस्त करे ? पूरे वाकयात रजिस्टर करते समय असिस्टेंट कमिश्नर के ध्यान में नहीं थे इसलिये उनके बारे में फाइंडिंग नहीं दे सका । लेकिन जब यह बात उसके ध्यान में बाद में आती है, उसके बारे में उसको अधिकार दिया जाता है कि ट्रस्ट के हित में वह दुबारा जांच करे और जांच के नतीजे के माफक एन्ट्रीज में तबदीली या रद्दोबदल करें, इसकी यह मंशा है कि कानून बनाते समय हमें भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है बल्कि देखना यह पड़ेगा कि व्यवहारिक रूप से यह ठीक है या नहीं इस दृष्टि से भी कानून होना चाहिये । ट्रस्टी बेईमानी से प्रोपर्टी हजम करना चाहते हैं, ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और गड़बड़ी करना चाहते हैं तो क्या हमें असिस्टेंट कमिश्नर को अधिकार नहीं देना चाहिये कि वह जांच न करे ? वैसे तो जनरल लॉ है फ्रॉड के लिये । उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है । फ्रॉड के बेसिस पर जो कार्यवाही की जाती है वह कभी भी की जा सकती है । इसलिये यहां भी यह प्रोविजन रखा है कि बेईमानी से छिपाने या और किसी वजह से छिपाने की बात ध्यान में आवे कि प्रोपर्टी छिपाई गई है तो उसकी इन्क्वायरी की जानी चाहिये । यह ट्रस्ट के हित की बात होगी ।

मैं समझता हूं इसके विरुद्ध जो दलील दी गई है वह इस बात की दी गई है कि असिस्टेंट कमिश्नर को बहुत पावर्स दी गई है कि वह चाहे जब इन्क्वायरी करा सकेगा । कानून में जब किसी को डिस्क्रीशनरी पॉवर दी जाती है तो उसको जुडिशियल वे (Judicial way) में एक्सरसाइज करना पड़ेगा ...

श्री भैरूंसिंह—यह हम जानते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—(जारी) यह महज कानून की बात है इसके लिये ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे सैंकड़ों हजारों केसेज हुए होंगे जिसमें यह तय किया होगा They must be exercised judiciously and not arbitrarily. इसलिये यदि कोई पावर्स दी गई है तो उसका मतलब यह नहीं है कि पॉवर्स को एब्यूज करेंगे । इसमें डरने की गुंजायश नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं इस क्लॉज का रहना आवश्यक है ।

श्री भैरूंसिंह (१६)—चैयरमेन महोदय, मैं ऐसा समझता था कि मेरे संशोधन प्रस्ताव के संबंध में माननीय राजस्व मंत्रीजी ठोस बातें बतायेंगे लेकिन उन्होंने तो अपने हाथ से इस बात को और

[श्री भैरूंसिंह]

भी सिद्ध कर दिया कि इस प्रकार की धारा यदि कानून में रखी गई तो निःसंदेह उससे नुकसान होगा । चेयरमेन महोदय, उन्होंने जो सबसे मोटी दलील दी थी वह इस बात पर आधारित है कि यदि कोई प्रन्यासधारी जानबूझ कर· · ·

श्री दामोदरलाल व्यास--On a point of information, Sir, This is one of the examples. There may be so many other reasons. एक मिसाल के तौर पर बात बताई ।

श्री भैरूंसिंह--जो आपके सामने मिसाल आई वह आपकी जानकारी में सबसे अच्छी थी तो इस सबसे अच्छी मिसाल को आपके समक्ष रखकर यह कहना चाहूंगा कि जब मिसाल के द्वारा इस बात की अवश्यकता है कि हमें इस प्रकार की धारा रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है । माननीय राजस्व मंत्रीजी ने 'फ्रॉड' शब्द का इस्तेमाल किया है । यदि कोई आदमी बदनीयत से, जानबूझ कर इस प्रोपर्टी की एन्ट्री लिस्ट देते समय नहीं करे और बाद में सहायक आयुक्त को मालूम हो जाय कि उक्त प्रोपर्टी ट्रस्ट से संबंधित है और जानबूझकर इसका जिक्र ट्रस्ट्रीज ने इन्वेन्टरी देते समय नहीं किया है इसलिये उसकी जानकारी करना आवश्यक है । इसका सार केवल इतना ही है । लेकिन मैं जानकारी दूगा माननीय राजस्व मंत्रीजी को कि आगे चलकर हमने यह व्यवस्था की है कि यदि कोई प्रन्यासधारी आवेदन-पत्र देते समय और स्टेटमेन्ट पेश करते समय यदि गलत एन्ट्री करता है या जान बूझ कर किसी प्रोपर्टी को छिपाने की कोशिश करता है या गलत व्यापार करता है तो आगे चलकर हमने उसको सजा देने की व्यवस्था की है। कोर्ट तक यह मामला जायगा और कोर्ट द्वारा उसको सजा दी जासकती है । इसलिये यह कहना कि फ्रॉड रोकने के लिये, जानबूझ कर छिपाने को रोकने के लिये यह व्यवस्था की है, ठीक नहीं है ।· · · · ·

श्री दामोदरलाल व्यास--मैं जानना चाहूंगा कि खाली उसको सजा मिलने से पंजिका में तब्दीली कैसे होगी ?

श्री भैरूंसिंह--(जारी) वह भी मैं आपको बताऊंगा । प्रश्न केवल यह आता है राजस्व मंत्रीजी के कथनानुसार जो फ्रॉड करता है और उसके द्वारा फ्रॉड करने से जो चीज छिपाई गई है उसकी हम इन्क्वायरी कर सकते हैं या नहीं और उसको सजा मिलने के साथ २ वह चीज हमको मिल सकती है या नहीं ? सजा का भाग तो आगे की व्यवस्था से पूरा होगा । अब प्रश्न है कि एन्ट्री कैसे होगी ? यदि कोई प्रन्यास अपने उद्देश्य में विफल हो जाय तो वह आगे क्या काम करेगा ? उसकी रूप रेखा नहीं है । सहायक आयुक्त या आयुक्त ऐसे मामलों में कोर्ट में जा सकते हैं और इसके बारे में कोर्ट से आदेश प्राप्त कर सकते हैं । यदि फ्रॉड है तो ओटोमेटिकली यह होगा कि फ्रॉड करने वाले को सजा मिलेगी । एन्ट्रीज के बारे में यह हो सकता है कि कोर्ट को इस बात का आदेश दिया जा सकता है कि इन्क्वायरी करने के बाद यह सिद्ध हो जाय कि फलां प्रोपर्टी छिपाई गई है तो वह उक्त प्रोपर्टी को लिस्ट में फिर से सम्मिलित करे । मैं कहता हूं कि जो चीज कानून में है उसको दुबारा किसी कानून में लाना जुडिशियल पोइन्ट ओफ व्यू से भी ठीक नहीं है ।

[श्री भैरोंसिंह]

प्रश्न इतना है कि यदि किसी अधिकारी को डिस्क्रीशनरी पॉवर देते हैं तो जुडिशियरी के अख्त्यारातों के समान उसका प्रयोग होगा ऐसा मंत्रीजी ने फरमाया। जुडिशियरी में जहां किसी जज ने फैसला दिया या निर्णय किया उस निर्णय को अपने आप ही बदलने का उस अधिकारी को अधिकार नहीं है यह जुडिशियल लाइन का मोटा सिद्धान्त है। अपने आप वे उसको नहीं बदल सकते। अब जब सहायक आयुक्त अपने डिस्क्रीशनरी अख्त्यारात को एक्सरसाइज करता है और दूसरा जानबूझ कर कोई गलती करे तो उसकी क्या व्यवस्था होगी? मान लीजिये एक साहब ने अपनी व्यवस्था के लिये ३ मकानों का इन्द्राज किया है लेकिन उसका इन्द्राज ट्रस्ट में नहीं किया है क्योंकि वे ट्रस्ट के नहीं हैं। यह उसकी निजी संपत्ति है। उस पर अधिकार करने के लिये और उस प्रन्यासधारी को हैरेस करने के लिये सहायक आयुक्त उसके खिलाफ इन्क्वायरी शुरू कर देगा। मैं समझता हूं प्रन्यासधारियों को दबाने के लिये यह अतिरिक्त अधिकार दिया जा रहा है। होना यह चाहिये कि इन्वेन्टरी में एन्ट्री करने के लिये कोर्ट से आदेश प्राप्त करे। आगे चल कर व्यवस्था की गई है इस प्रकार की एन्ट्री करने के बारे में और कोर्ट का आदेश प्राप्त करने के बारे में। जहां कोर्ट को सजा देने का अधिकार देते हैं वहां उसको यह भी अधिकार दे सकते हैं कि इस प्रकार की प्रोपर्टी की एन्ट्री यदि जानबूझ कर नहीं कराई है तो कोर्ट उसकी एन्ट्री लिस्ट में करवाले। यह कह सकते हैं कि जब सहायक आयुक्त को मालूम हो जावे कि फलां ट्रस्ट की १०० दुकानें बम्बई में हैं उनमें से ७० ही दर्ज करवाई गई हैं और बाकी ३० दर्ज नहीं करवाई हैं तो मैं समझता हूं वे निश्चित रूप से दर्ज होनी चाहिये और ऐसा करने वाले को सजा भी मिलनी चाहिये। इसके बारे में कोर्ट को अधिकार देना चाहिये कि वह ३० दुकानों के बारे में निर्णय दे और अपने निर्णय के बाद यदि राय हो कि वे दुकानें भी लिस्ट में शामिल होनी चाहिये तो उनको शामिल कराने का अधिकार कोर्ट को देना चाहिये। और यदि यह निर्णय हो कि शामिल नहीं हो तो शामिल नहीं होगा। पर सहायक आयुक्त को इस प्रकार के अधिकार देना एक ऐसा अधिकार है कि एग्जीक्युटिव अफसर को जुडिशियल अफसर के अधिकार देना है जो किसी हालत में उचित व उपयुक्त नहीं है। इसमें लिखा है:—

जिस समय उसको पता लग जाय, पता चाहे झूठ लगे, चाहे कोई दूसरा दे, इसमें व्याख्या की है। हित रखने वाला व्यक्ति जो उस धर्म में श्रद्धा रखता हो या उस धर्म का अनुयायी हो, हिन्दू होने से वह हिन्दू धर्म के जितने ट्रस्ट हैं उनके बारे में शिकायत कर सकता है। इससे यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति उनके बारे में ईर्ष्या रखने के कारण शिकायत कर सकता है और उस शिकायत के आधार पर सहायक आयुक्त उपयुक्त समझें तो हैरेस कर सकता है। यह उपयुक्त नहीं।

मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं इसे सोचें अन्यथा मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य इसे स्वीकार कराने में सहायता प्रदान करें।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—प्रश्न यह है कि खंड १० में जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

Noes have it.

Page No 61

श्री भैरूं सिंह--Ayes have it, Sir.

श्री सभापति--Do you want division ?

श्री भैरूं सिंह--Yes, Sir.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति--मैं फिर प्रश्न पूछता हूं । जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे ।

(मत-दान के पश्चात्)

Noes have it ?

श्री भैरूं सिंह--Ayes have it. Sir.

श्री सभापति--संख्या गिन ली जाय, जो पक्ष में हों और विपक्ष में हों ।

श्री भैरूं सिंह--नामों की भी जरूरत है साहब, नाम लिखे जायं ।

श्री सभापति--Do you want the recording of names ?

श्री भैरूं सिंह--Yes Sir.

श्री सभापति--May be recorded.

श्री भैरूं सिंह--लोबीज में भेजा जाय, साहब ।

श्री सभापति--संख्या को देखते हुए इतना असुविधाजनक नहीं है ।

श्री भैरूं सिंह--लोबीज में जाने की व्यवस्था इसलिये की है कि कोई सदस्य दबाव, प्रभाव के कारण या अन्य कारणों से यहां मजबूर होकर अपनी इच्छा के प्रतिकूल वोट देते हों वे लोबीज में स्वतन्त्रता पूर्वक वोट दे सकें । यहां व्हिप की आशंका का डर लगता है, अधिकारियों का डर लगता है । अतः लोबीज में जाने की इजाजत दी जाय ।

श्री सभापति--कोई अनुचित दबाव नहीं आयेगा, निश्चिन्त रहें ।

(पक्ष व विपक्ष में मत देने वाले सदस्यों के नाम लिखे जाने लगे)

(विरोधी दल के सदस्यों के नाम लिख लेने के उपरान्त श्री सन्तोषसिंह कछवाहा, राज श्री हिम्मतसिंह अटरू आदि तीन चार सदस्य सदन में और आये) ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--सभापति महोदय, वहां केन्टीन में घंटी की आवाज नहीं आई इसलिये मुझे मालूम नहीं हुआ ।

श्री भैरू सिंह--घंटी की आवाज नहीं आई तो दुबारा बजाई जाय। अभी तक कई केन्टीन में घंटी के इन्तजार में बैठे होंगे।

(विराम)

श्री सभापति--मत गणना इस प्रकार है:--

पक्ष में ८ मत।

विपक्ष में २३ मत।

ना पक्ष जीता। संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १० स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड १० स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ११ व १२ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खंड ११ और १२ स्वीकार किये गये।

(विराम)

खंड १३, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता--माननीय चेअरमेन, मैं इसको मूव करना नहीं चाहता।

श्री सभापति--श्री भैरूसिंह।

श्री भैरूसिंह (१६)--माननीय चेअरमेन, खंड १३ में मेरा संशोधन इस प्रकार है:--

"सातवीं पंक्ति में शब्द 'सूचना' देगा के आगे के सब शब्द लोप किये जायं।" धारा १३ में यह व्यवस्था की गई है कि 'यदि व्यवहार (सिविल) न्यायालय या राजस्व अधिकारी के समक्ष चल रही किसी कार्यवाही में कोई ऐसा प्रलेख प्रस्तुत किया जाय जिसका अभिप्राय सार्वजनीन प्रन्यास निर्माण

[श्री भैरूंसिंह]

करना हो, अथवा ऐसे न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कोई प्रश्न पंजिका की किसी प्रविष्टि पर प्रभाव डालने वाला है तो ऐसा न्यायालय या अधिकारी सहायक आयुक्त को ऐसी कार्यवाहीं की सूचना देगा। जहां तक 'सूचना देगा' शब्द हैं, इसमें तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है लेकिन इसके आगे के ये शब्द "और यदि सहायक कमिश्नर से इस सम्बन्ध में आवेदन करे तो उसे वह ऐसी कार्यवाही में पक्षकार बना लेगा"; कुछ तो इसमें छपाई की गलती रह गई है या मैं समझता हू कि ड्राफ्टिंग की गलती से यह 'उसे' शब्द के स्थान पर 'कमिश्नर' होना चाहिये। यदि सहायक कमिश्नर के सम्बन्ध में आवेदन करे तो उसे वह ऐसी कार्यवाही में पक्षकार बना लेगा। मैं समझता हू कि इसमें छपाई की गलती रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास—छपाई की गलती रही है।

श्री भैरूंसिंह—इसके बाद भी मेरा मत यह है कि इन शब्दों को, जो और आगे हैं उनको बिल्कुल विलोपित कर दिया जाए।

माननीय चेअरमेन, जहां धार्मिक प्रन्यास का प्रश्न आता है उन सब का इस कानून के द्वारा रजिस्ट्रेशन होगा। इसलिये उनकी जितनी संपत्ति है उनकी भी लिस्ट बनाई जावेगी। उस संपत्ति में जो एन्टर की गई है उसमें यदि कोई एडिशन या आल्टरेशन होगा तो उसकी भी एन्ट्री की जावेगी जो पंजिका तैयार होगी उसमें एन्ट्री की जावेगी। यदि इन सारे मामलों को लेकर, रजिस्ट्रेशन की फीस को लेकर या कोई स्टेटमेन्ट पेश करे उसके मामलों को लेकर कि स्टेटमेन्ट किस हद तक सही हैं, इस बात को लेकर कोई मामला सिविल कोर्ट में चले या चल रहा हो तो सिविल कोर्ट इस व्यवस्था के अनुसार जिस प्रन्यास का मामला उस सिविल कोर्ट में चल रहा है तो उसकी सूचना सहायक आयुक्त को देगा और यदि सहायक आयुक्त यह कहे कि वादी में इसको भी पार्टी बनाया जावे तो सिविल कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वह उसको भी पार्टी बनाने का अधिकार देगा। बात देखने में बड़ी सुन्दर मालूम होती है। यदि कोई सिविल कोर्ट में केस चल रहा है तो सहायक आयुक्त को भी अधिकार होना चाहिये कि वह भी सिविल कोर्ट में कार्यवाही करे। बात दिखने में बड़ी सुन्दर है लेकिन यदि इसको समझने की कोशिश की जावे तो माननीय चेअरमेन, यह दिखने में कितनी सुन्दर है लेकिन जितनी दिखने में सुन्दर है उतनी ही अव्यवस्था पैदा करने वाली है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि संपत्ति किसकी है? संपत्ति या तो उसकी है जिसने दान दिया है या उसकी है जिसके निमित्त दान दिया गया या उसकी है जिसको उसने दान का पात्र मान कर दान दिया, और जिसके अधिकार में दो। संपत्ति के ये तीन प्रकार के अधिकारी माने जाते हैं। अब हमारी सरकार की इच्छा के अनुसार सहायक आयुक्त को भी अधिकार होगा कि वह भी किसी भी मामले में वादी-प्रतिवादी के रूप में सिविल कोर्ट में चला जावे। लेकिन मैं यह कहूंगा कि सिविल कोर्ट में इन अधिकारों का क्या मतलब होगा? इसका यह मतलब होगा कि कोई ट्रस्टी या ऐसा व्यक्ति जो अपने को हित रखने वाला बताता हो यदि उसको पार्टी बना दिया तो बहुत मुमकिन है और अमूमन ऐसा होता आया है कि हित रखनेवाला व्यक्ति जो अपने नाम से आवेदन-पत्र दे रहा है वह व्यक्ति और वह सहायक आयुक्त दोनों में यदि किसी प्रकार का समझौता हो जाए; समझौता किस प्रकार का, समझौता

[श्री भैरूसिंह]

इस प्रकार का कि कोई व्यक्ति जो अपने आपको हित रखनेवाला कहता है यह कहे कि यह ट्रस्ट की प्रोपर्टी नहीं है और ट्रस्ट की पंजिका में जो एन्ट्री हुई है वह गलत है और उसी लिये सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रस्टी यह कह रहे हैं कि जो एन्ट्री हुई है बिल्कुल सही है और उस प्रोपर्टी में हित रखनेवाला व्यक्ति ओब्जेक्शन करता है तो वह ओब्जेक्शन कर सकता है और यदि कोई ऐसा मामला चलता हो तो ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह वादी और प्रतिवादी में खड़ा कर कार्यवाही करे । यह अधिकार ह ने दिया है सहायक आयुक्त को । जिसके अधिकार क्षेत्र में वह हो और यदि आवेदनपत्र प्रस्तुत करें तो इस बात के लिये उसको पार्टी बताया जावेगा ।

मैंने पहले बताया कि दोनों यदि इस बात के लिये समझौता कर लें, किस बात के लिये कि इस ट्रस्ट की प्रोपर्टी में से, जिसे सम्पत्ति में हित रखनेवाला व्यक्ति कहता है कि यह संपत्ति ट्रस्ट की नहीं है एक वादी के रूप में हित रखनेवाला व्यक्ति कहेगा और प्रतिवादी के हित में ट्रस्टी आवेगा । जब वे लोग मिल जावेंगे तो सिविल कोर्ट को मजबूर होकर ऐसा फैसला देना होगा कि वह संपत्ति जो पंजिका में उल्लेख की हुई है वह उससे दूर निकाल दी जावे और वास्तव में वह प्रन्यास की संपत्ति नहीं रहेगी ।

एक पक्ष इस बात को मजबूत करता है और दूसरा इसके विपरीत यह कहता है कि संपत्ति की लिस्ट जो दी गई है उसमें कोई चीज छोड़ी है । दावा चल रहा है । हित रखने वाला दावा करता है औ कहता है कि सहायक आयुक्त ने ट्रस्ट की प्रोपर्टी में एन्ट्री नहीं की उसकी एन्ट्री होनी चाहिये ।

सहायक आयुक्त और आयुक्त दोनों ऐसा निर्णय देवें जिसमें ट्रस्टी पार्टी नहीं इसलिये एन्ट्री नहीं हो सकती, उसके बाद में अगर सिविल कोर्ट में कोई मामला जाता है पहले उसकी बहस आयुक्त के पास हो गई उसके बाद में मामला सिविल कोर्ट में जाता है उसके बाद किसी ट्रस्ट के हित चाहने वाले व्यक्ति का आवेदन आता है कि ट्रस्ट की प्रोपर्टी में फलां २ प्रोपर्टी को शामिल नहीं किया। यह आवेदन किसी प्रन्यासधारी से आता है और वह सिविल कोर्ट में दावा करता है तो उस समय सिविल कोर्ट में सहायक आयुक्त का एक पार्टी की हैसियत से उपस्थित होना कतई उचित नहीं माना जा सकता । सहायक आयुक्त के इस प्रकार की दरख्वास्त पर कि मुझे भी इसमें एक पार्टी बनाया जाय, उसका मतलब यह होगा, सभापति महोदय, उस ट्रस्ट से संबंधित या उसके हित को ध्यान में रखने वाले व्यक्ति की तरफ से जो दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ जिसने ऐसा निर्णय दे दिया है कि यह संपत्ति किसी भी रूप में प्रन्यास की संपत्ति नहीं, उसको यदि पार्टी के रूप में सिविल कोर्ट में उपस्थित करना, उसको पैरोकार बनाना जो आगे चलकर भी यह पैरवी करे कि जिस संपत्ति के लिये कहा गया है वह ट्रस्ट की नहीं है । उसको एक पार्टी के रूप में सिविल कोर्ट में उपस्थित होने देना एक प्रकार से सिविल कोर्ट के निर्णय पर एक्जीक्यूटिव मेन्डेड नहीं। वहां जाकर सहायक आयुक्त अपने एक्जीक्यूटिव इन्फ्लियूएन्स को एक्सरसाइज करे और कोर्ट पर इन्फ्लियूएन्स करने की चेष्टा करे, यह कदापि न्याय-युक्त नहीं माना जा सकता । कोर्ट का फैसला निष्पक्ष हो तो आपको चाहिये कि सहायक आयुक्त को पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं । जब किसी ट्रस्ट की प्रोपर्टी के बारे में अगर ऐसा कोई मामला आता है सिविल कोर्ट में तो उस समय केवल ट्रस्ट के अधिकारी व आवेदनकर्ता वादी और प्रतिवादी के रूप में होने चाहिये ।

[श्री भैरूंसिंह]

अब हम इस पहलू पर भी विचार करें कि अगर हम किसी भी मामले में सहायक आयुक्त को पार्टी नहीं बनाते हैं तो क्या नुक्सान होता है ? मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी नुकसान होने वाला नहीं। नुकसान केवल इतना ही हो सकता है कि वह पैरवी न करे। ट्रस्टीज जो होंगे उनका नियन्त्रण होगा कभी दोनों तरफ वाले नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे की संपत्ति को हड़प कर लिया जाय। अगर सिविल कोर्ट में सहायक आयुक्त की इच्छा के विपरीत कोई काम होता है, और पार्टीज उसकी अपील करना चाहते हैं, उसकी अपील लेकर जाते हैं, तो उसमें सहायक आयुक्त को पार्टी बनायेंगे तो यह निरर्थक चीज होगी । केवल आवेदनपत्र पर सहायक आयुक्त को एक पार्टी बना देना मैं समझता हूं ठीक नहीं है उसे इस बात के बाउन्ड डाउन नहीं कर सकते। उसको पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं । ट्रस्टीज और ट्रस्ट के विरुद्ध आवेदन करने वाले व्यक्ति दोनों को पार्टी बनाया जाय, दोनों पार्टी के रूप में सिविल कोर्ट में उपस्थित हों । इसके अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक्जीक्यूटिव आफिसर हो उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह ट्रस्ट्स के मामलात में हस्तक्षेप करे। दोनों वादी और प्रतिवादी हो उन्हीं तक वह मामला सीमित रहना चाहिये, इसके अलावा एक्जीक्यूटिव आफिसर को एक पार्टी के रूप में सिविल कोर्ट में उपस्थित होने देना और वह मुकदमें में एक पक्ष की पैरवी करे कतई न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार का अधिकार जो अपील के लिये हमने दिया है उससे कोई रेमेडी होने वाली नहीं । हमने जो रेमेडी भावना से यह अपील का प्रोवीजन रखा है उसकी भावना को यह बिल्कुल समाप्त कर देता है । इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन को सदन में प्रस्तुत करता हुआ निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ से आने वाले माननीय मित्र ने जो संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । यह सशोधन बहुत सीधा सादा है। मुझे समझ में नहीं आता इसको भी मन्जूर करने में मंत्रीजी को क्या आपत्ति हो सकती है ? साधारण सी बात है कि अगर कोई आदमी ट्रस्ट की प्रोपर्टी के बारे में गड़बड़ी की शिकायत करता है तो वह शिकायत करने वाला एक तरफ पार्टी रहेगा और दूसरी तरफ ट्रस्टीज पार्टी रहेगी । ऐसी सूरत के अन्दर यह एक नई उलझन पैदा करना कि सहायक आयुक्त को भी इसमें पार्टी बनाया जायगा अगर वह दरख्वास्त दे तो यह कोई माने नहीं रखता ।

मैं यह मानता हूं, हमको इस कानून का जो यह मूलभूत अंग है, ट्रस्ट और ट्रस्टीज, उन पर तो अवश्य विश्वास करना पड़ेगा। अगर सरकार शुरू से ही यह मानकर चलती है कि ट्रस्टीज गडबडियां करेंगे या सरकार का ट्रस्टीज पर विश्वास नहीं रहेगा तो वैसी हालत में हमको भी सरकार की नीति में थोडा सा अविश्वास पैदा हो जाता है। मैं यह समझता हूं सरकार को अगर इस कानून को सही तरीके चलाना है, अगर सरकार को वाकई में इस कानून के द्वारा धार्मिक स्थानों का उत्थान करना है तो किसी भी प्रकार ट्रस्टीज पर अविश्वास की बात तो सोचना ही नहीं चाहिये । मैं नहीं सोचता कि धार्मिक स्थानों के जो ट्रस्टीज होंगे वे इस प्रकार की बेईमानी करेंगे । बेईमानी तो वे ही लोग कर सकते हैं जिनका कोई धर्म नहीं। वे ही लोग इस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं जिनको धर्म के अन्दर आस्था नहीं। मैं मानता हू जिस आदमी को धर्म के अन्दर विश्वास है वह धार्मिक स्थानों के लिये नुकसान की कल्पना

[श्री मानसिंह महार]

नहीं करेगा । असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर वगैरह पहले अपनी जांच कर लेंगे । उसके बाद न मालूम हमारे मंत्रीजी के दिमाग में (जो अपने आपको आला वकील मानते हैं किसी जमाने में थे) मुझे ये बातें देखकर शक होने लगा है। जब कि कानूनी मसलों पर उनके विचार सुनता हूं तो जो उनको किसी समय आला वकील मानते थे चेयरमेन महोदय, अब उनको काबलियत पर शक होने लगा है। मैं यह समझता हूं कि वे शायद काबिल वकील होते हुए भी इन बातों को छुपाना चाहते हैं। मुझे यह शक होता है कि वे काबलियत को कैसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं इसलिये मैं यह समझता हूं हमको हमारे ट्रस्टीज के ऊपर विश्वास करना होगा। सरकार यदि विश्वास नहीं करती है तो वह बडी भारी भूल होगी । उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर को एक पार्टी मान लेना बहुत बडी भूल होगी । असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर ने पहले जांच करली, सारी पडताल कर ली, सारा काम किया, उनको अपने फैसले को रिव्यू करने का भी अख्तयार दे दिया कि वह चाहे तो अपने फैसले को दुबारा जांच कर सकता है। दूसरी बात भी जबरदस्ती थोप दी गई फिर भी आपका पेट नहीं भरा । उसके बाद सिविल कोर्ट में मामला जाता है उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप हो यह उचित नहीं है । मैं तो निवेदन करूंगा कोर्ट के अन्दर मामले के निपटारे में बहुत समय लगता है कोर्ट के अन्दर बिला वजह से सरकारी अफसर को इनवोल्व करने का नतीजा यह होगा कि सरकारी अफसर तो चाहेगा ही कि उसको एक पार्टी माना जाय । मान लीजिये असिस्टेंट कमिश्नर महोदय का कार्यालय उदयपुर में है और केस सिविल कोर्ट जयपुर में चल रहा है। तो अगर उन असिस्टेंट कमिश्नर महोदय का घर जयपुर में है तो वे तो चाहेंगे हो। इसी मिस जयपुर जाना तो होगा, उसका टी. ए., डी. ए. बनेगा और दो चार दिन घर भी रह कर आ सकते हैं इसलिये वह अपने आपको पार्टी बनाने की सिफारिश जरूर करेगा ।

इसमें सरकार के पैसे की ओर भी ध्यान देना चाहिये । हमें केवल भावना में ही नहीं बह जाना चाहिये । हम मानते हैं कि हमारी सरकार हमारे धार्मिक स्थानों के लिये बडी सहानुभूति रखती है । इस बात को हम नहीं छुपा सकते। पर फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि सहानुभूति रखने का यह अर्थ नहीं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जावे। इस प्रकार की मिसालें तो हमारे समक्ष हजारों मौजूद हैं कि चन्द व्यक्तियों को किसी विशेष स्थान पर आने जाने की रियायत देनी होती है तो पर्टीक्यूलर केसेज दे दिये जाते हैं और महीनों दर महीनों उनकी सुनवाई के लिये कुछ पर्टीक्यूलर स्थानों पर आते हैं और जाते हैं और उन केसों का पांच २ वर्षों तक फैसला नहीं करते हैं । जयपुर में एक सिटी मजिस्ट्रेट थे, उनके पास कुछ ऐसे मुकद्दमे थे उनका फैसला उन्होंने तीन तीन साल से नहीं किया और इस बीच में उनका तबादला डूंगरपुर हो गया। पर वे आज भी उन पर्टीक्यूलर केसों को सुनने को जयपुर आते हैं। मैंने पूछा लोगों से इतने दिन हो गये ये इन केसों का फैसला क्यों नहीं करते ? कहा गया कि इन मुकद्दमों को मजिस्ट्रेट साहब पहले तो अपना तबादला यहां से न हो इस काम में लाते थे और इस वजह से फसला नहीं करते थे और अब इस कारण से फसला नहीं कर रहे हैं कि इनको आड में उनका भारी टी. ए. डी.ए. पकता है । और इस तरह से इन मुकद्दमों को प्रोलौन्ग कर रहे हैं । तो ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो सशोधन मेरे साथी दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह तो बहुत ही इन्नोसेन्ट है। इससे आपका मतलब तो बहुत हल हो जाता है। इसलिये अगर ये लाइनें उड़ा देते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं होता । मैं यह मानता हूं कि ट्रस्ट के इन्टरेस्ट में जितना

[श्री मानसिंह महार]
ट्रस्टी विचार रखते हैं उतना आपके एसिसटेन्ट कमिश्नर क्या कमिश्नर कभी नहीं विचार रखते, मेरी यह निश्चित धारणा है और यह दावे के साथ कहा जा सकता है। कहा यह जावेगा कि कुछ ट्रस्ट ऐसे हो सकते हैं जो जान बूझकर सम्पत्ति को छुपा दें। तो इस के लिये तो पहले ही आपने दो बार अख्तियार दे दिया है। अब तीसरी बार भी इस प्रकार के अख्तियार देकर फिजूल खर्ची क्य करते हैं? अगर इकोनोमी के लिहाज से भी देखें तो यह बात गलत है। और माननीय मन्त्रीजी के दिमाग में भी यह बात बैठने लगी है फिलहाल। हमें आशा तो नहीं करनी चाहिये कि कोई बात उनके दिमाग में बैठेंगी क्योंकि वहां तो ऊटपटांग और गलत बातें ही बैठ सकती हैं। सीधी बात है वह तो बैठ नहीं सकती। या तो वहां भगवान रामचन्द्रजी की बात आजावे या रामचद्रजी माथुर हैं उनकी बात आजावे या रामचद्रजी बेनीवाल हैं उनकी बात आ जावे तो बैठ सकती है, इन तीन रामचन्द्रजी की बात तो उनके दिमाग में बैठ सकती है, नहीं तो और कौनसी बात बैठ सकती है? आज के युग में सही बात को मानना तो दूर रहा, सुनना भी नहीं और कहना कि ऊटपटांग बात है, आज अगर कोई वाजिब बात कही जाती है तो उसको भी ऊटपटांग बात कहा जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह कहीं नहीं कहा कि ऊटपटांग बात है अगर आपने ऐसा समझा है तो बहुत गलत समझा है।

श्री मानसिंह महार—बेकार की बातें हैं, यह आपने कहा है।

तो चेयरमेन महोदय, मुझे बडी खुशी हुई कि मंत्रीजी ने अपने को सुधारा मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूं, मैं उनका बडा भारी आभारी हूं और अबकी तो उनके दिमाग में कोई बात आई दिखती है। तो इसलिये इस छोटी सी बात के ऊपर मन्जूरी देकर आज उम्मीद है वे अपनी सद्भावना का परिचय और देंगे और तभी उनकी सद्भावना पर हमें विश्वास भी होगा कि जो ये यह फरमा रहे हैं कि इस बिल को पास करके वे गवर्नमेन्ट इन्टरफीयरेन्स नहीं करना चाहते बल्कि एक उचित प्रबन्ध करना चाहते हैं। और भी कहना चाहता था पर उनके इस आश्वासन पर मैं अपना कथन यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि वे इसे मन्जूर कर लेंगे।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय चेयरमेन महोदय, दांता रामगढ से आने वाले सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। हम हमेशा यह आपसे निवेदन करते आये हैं कि एग्जीक्यूटिव को ज्यूडिसियरी से अलग रक्खा जावे।

इसके अलावा धार्मिक ट्रस्ट के अन्दर जब हम यह चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा की जावे तो आपकी तो यह सिक्यूलर स्टेट है और आपके यहां जातिवाद का बन्धन नहीं है। आपके यहां जो कमिश्नर नियुक्त होता है तो वह ईसाई या मुसलमान भी हो सकता है और वे जाकर हिन्दुओं के हित में क्या ठीक तरह से पैरवी कर सकेंगे? इसलिये निवेदन करने का मतलब यह है कि यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिये और अगर नहीं करेंगे तो हमारी धारणाएं और पक्की होती जावेंगी कि आप इसी प्रकार हिन्दुओं के साथ में अन्याय बार बार करते जावेंगे। आपने हिन्दु शब्द को हटाया नहीं और इसमें केवल हिन्दुओं के ट्रस्टों को ही रक्खा तो इससे ऐसा लगता है कि केवल

श्री जगतसिंह झाला]
उन के साथ ही अन्याय करने के लिये आप ये सारी चीजें करना चाहते हैं। तो हमारा कहना है कि हमारा हिन्दु धर्म में आस्था रखने वाला ही ठीक पैरवी कर सकता है। तो मैं चाहता हूं आप इसे स्वीकार करेंगे।

राज श्री हिम्मतसिंह—सभापति महोदय, क्लॉज १३ मैंने भी देखी और इसमें सबसे बडी बुरी बात तो यह है कि इसको जो हटाया है उसको अन्डरलाइन नहीं करने से पैरेग्राफ नहीं बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन मेरा ऐसा खयाल है ढाई या सवा दो लाइन जो हैं वह हैडिंग ही मालूम पडता है। लेकिन लाइन के नीचे अन्डरलाइन नहीं होने से मुगालता होता है।

"ऐसी कार्यवाही करने के दौरान में यह डॉक्युमेन्ट प्रस्तुत किया जावे जिसके एवज में दे दी जावेगी।" This should be the heading. I believe it so. मैं इसको समझता हूं कि यह हैडिंग है। अगर यह हैडिंग है तब तो यह संशोधन ठीक मालूम होता है। इस हैडिंग के माफिक इसका क्लॉज ठीक हो जाता है जब संशोधन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वर्ना यह अजीब सी बात हो जाती है। ऐसा लगता है कि इस क्लॉज को बनाते बनाते यह ख्याल में आगया होगा कि यह भी जोड दो। फिर यह भी आफ्टर थोट मालूम होता है। यह विचित्र सी बात है। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब इसको ठीक तरह से अपने जवाब में एक्सप्लेन करेंगे।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब रहा सवाल यह कि उस पेशेकार बनाया जावे या नहीं। पेशेकार बनाये जाने में अनेक प्रकार की हानियां इसमें हैं। क्योंकि एक सहायक कमिश्नर जो है वह सहायक आयुक्त ही कहा जावे। He is the same· या कमिश्नर के बजाय एसिस्टेंट कमिश्नर आ गया है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह तो आफ्टर थोट है। मैं नहीं समझता कि यह क्यों पार्टी बनाया जा रहा है ? यह एक विचित्र सी बात है। इसको पेशेकार बनाने से कोई लाभ नहीं है।

शायद आपका मतलब यह है कि यह प्रन्यास जो बनाया गया है वह गलत बनाया जा चुका हो उसके बाद कोई उसके डॉक्यूमेन्ट पेश करदे तो यह जिम्मेवारी किस के ऊपर पटकी जाय, सहायक आयुक्त पर पटकी जाय, ऐसा आपका ख्याल है। तो वह ख्याल ठीक नहीं है। उसके लिये ट्रस्टीज जिम्मेवार हैं और जो डॉक्यूमेन्ट पेश करता है वह जिम्मेवार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बिला वजह क्यों एक गवर्नमेन्ट आफिसर को तरजीह दें और पेशेकार करेंगे उसके साथ साथ खर्चा भी करना होगा तो वह खर्चा कौन देगा ? गवर्नमेन्ट देगी या ट्रस्टीज देंगे अपनी जेब से ? सहायक आयुक्त को पार्टी बनाना बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूं कि इस बातपर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मिनिस्टर महोदय समझ गये होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अब टाइम भी हो गया है और हमें जाने की इजाजत देंगे।

आज की सदन को कार्यवाही स्थगित करने संबंधी वाद-विवाद ।

श्री मानसिंह महार—पांच बज चुके हैं, साहब ।

श्री उपाध्यक्ष—८ बजे तक चलेगा ।

श्री मानसिंह महार—हम जो पांच बजे की कह रहे हैं उसको सुना जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—दो बजे से सेशन शुरू हुआ है ।

श्री भैरू सिंह—सवाल यह है कि हम यहां ११ बजे से आये हुए हैं और अब पांच बज चुके हैं । हमारे पास यह सूचना देरो से आई थी, वह यहां आने पर मिली कि सदन की कार्यवाही २ बजे से होगी । ११ बजे से आये हुए हैं तो हम चाहेंगे, कि पांच बजे छुट्टी हो जाय ।

श्री मानसिंह महार–२ बजे से सेशन करना था तो कम से कम हमें ऐसी सूचना तो समय पर मिलनी चाहियें थी । आपको हमारी भी सहूलियत देखनी चाहिये केवल मंत्रियों की ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—वह आज ऐसी बात नहीं है कि मंत्रियों की वजह से हो ।

श्री मानसिंह महार–वह आपको मालूम है कि एज्युकेशनल कॉन्फ्रेन्स थी वह मैं मानता हूं ।

श्री भैरू सिंह–वह एज्यूकेशनल कान्फ्रेन्स थी उसकी सूचना आज ही मिली हो ऐसी बात नहीं है । उसकी सूचना कई दिनों पहले से थी । हाउस को दो बजे से कराना था तो उसकी सूचना पहले दी जा सकती थी । मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा । यदि ११ बजे से होने वाली कार्यवाही की उसी समय जिस समय कि सदन के सदस्य यहां आ गये हों यह सूचना दे कि कार्यवाही दो बजे से होगी और आप यह उम्मीद करेंगे कि उसमें ६ घंटे लगेंगे और ८ बज तक बैठा रह कर उस कार्यवाही में भाग लें तो ११ बजे से ८ बजे तक वह कार्यवाही में भाग लें तो मैं समझता हूं कि यह उनके साथ एक प्रकार से ज्यादती होगी । आज पांच बजे तक बैठते हैं । अगर कोई काम बाकी रहेगा तो सेशन आगे चलेगा और वह काम होता रहेगा । ११ बजे से ८ बजे तक बैठे रखना, यह एक प्रकार से उनके साथ ज्यादती होगी । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हाउस की कार्यवाही पोस्टपोन की जाय ।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)–उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि सब के पास सूचना आ गई हो । सुबह की बस आ गई और लोग बाग बैठकर जाने लगे उस समय भी किसी को पता नहीं था कि वे एज्युकेशनल कॉन्फ्रेन्स में जा रहे हैं । वे समझ रहे थे कि असेम्बली में जा रहे हैं और बस चली गई एज्युकेशनल कॉन्फ्रेन्स में । वास्तव में बात यह है कि सूचना नहीं मिली । यह गवर्नमेन्ट की मरजी ठहरी कि वह किसी भी प्रकार से कार्य करे, लेकिन हम २ बजे से ५ बजे तक रहेंगे । पांच बजे के बाद हम नहीं चाहते हैं कि कार्यवाही चालू रहे । यह हमारे साथ अन्याय होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—वास्तव में जहां तक मेरी सूचना है इसका देरी से डिसीजन हुआ । यह जरूर हुआ है कि आप लोगों को सबको सूचना देने का प्रयत्न किया गया था और कुछ लोगों को यहां आने पर सूचना मिल गई होगी । इसलिये सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जायगी ।

Page No 70

श्री जवानसिंह--On a point of order, Sir, हमारे रूल्स में यह प्रोवीजन है कि सदन की कार्यवाही ११ बजे से ५ बजे तक होगी। जिस वक्त सदन की बैठक नहीं थी तो माननीय अध्यक्ष ने यह उचित समझा कि सदन की कार्यवाही ११ बजे न होकर २ बजे रखें। इस वक्त हमारे सामने सिर्फ प्रश्न यह है कि क्या जब कि सदन की बैठक हो रही है उस वक्त भी सदस्यों की मन्जूरी बिना कोई रद्दोबदल की जाय यानी निश्चित समय को न कम करें और न बढ़ायें। इसमें केवल एक बात है, माननीय उपाध्यक्ष, कि जब तक रूल्स में किसी भी प्रकार का संशोधन इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों के जरिये पास न हो जाय तब तक रूल्स में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का किसी को अधिकार नहीं है। और इस वक्त मैं यह निवेदन करूगा

(घंटी)

मैं प्वाइन्ट ऑफ आर्डर पर निवेदन कर रहा हूं।

इस वक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त सदन के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाकर यह तय किया जा सके कि ५ बजे, ७ बजे या १ बजे तक कार्यवाही चालू रहेगी। इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर अपना रूलिंग दें कि क्या रूल्स के अन्दर किसी प्रकार का संशोधन या मोशन आये बिना सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये सदन की बैठक का समय बढाया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--यह स्पीकर साहब ने समय बतलाया है इसलिये उसी के तहत यह कार्यवाही हो रही है।

श्री शंभूसिंह--On a point of order, Sir, यह प्रोवीजो इस रूल में है कि उसके खिलाफ टाइम में परिवर्तन किया जाय तो इसके वास्ते मोशन होना चाहिये और हाउस एडॉप्ट करे तो उसी हालत में वह किया जा सकता है। अगर हाउस ऐसे मोशन को एडॉप्ट करे...

श्री उपाध्यक्ष--मोशन की बात नहीं है। स्पीकर साहब को पावर्स है कि वे समय को बदल सकते हैं।

श्री मानसिंह महार--हमें कम से कम इत्तिला होनी चाहिये कि आज सदन की कार्यवाही २ बजे से ८ बजे तक चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष--इत्तिला आपको दी गई।

श्री मानसिंह महार--वह इत्तिला ऐसे वेग टर्म में दी गई कि २ बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हम लोग इसी बात पर आये थे।

(श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन)

श्री रूपनारायण शास्त्री--अगर इत्तिला दी गई तो किसी कागज के जरिये दी गई होगी। क्या उसमें यह है कि सदन की कार्यवाही २ बजे से ८ बजे तक होगी ? यदि ऐसा है तो ८ बजे तक बैठे रहेंगे, नहीं तो ५ बजे कार्यवाही समाप्त होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मुझे थोडा सा माननीय सदस्यों से कुछ कहना था इसलिये मैं इस कार्यवाही के बीच में उपस्थित हुआ हूं। पहली बात तो यह है कि मुझे इस बात का दुःख प्रकट करना है कि आज की कार्यवाही ११ बजे के बजाय २ बजे से की गई। जो असुविधा माननीय सदस्यों को इससे हुई उसके लिये, मैं समझता हूं, वे ज्यादा ख्याल नहीं करेंगे।

अब रही बात बैठने की, यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय तो वह स्थगित की जा सकती है।

("स्थगित की जाय" कई आवाजें)

काम आपको ही करना पड़ेगा, चाहे उसे आज करें या परसों करें।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करूंगा कि कम से कम ६ बजे तक तो हमें बैठना चाहिये।

श्री भैरूंसिंह—हाउस मूड में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह तो बिल के बारे में मूड में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर काफी मतैक्य है कि छुट्टी की जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आप चाहे ५ बजे तक बैठें या २४ घंटे तक बैठें आपके लिये कोई समय की अवधि नहीं है। लेजिस्लेटर्स के लिये कोई समय का निर्धारण नहीं है कि ११ बजे से ५ बजे तक या ८ बजे से १२ बजे तक बैठें। हमारे पास कार्य होगा तब तक किसी भी समय तक बैठ सकते हैं।

कई माननीय सदस्य—कार्य तो चल ही रहा है।

श्री अध्यक्ष—यह बात दूसरी है कि हम ६ बजे तक काम नहीं करना चाहते हैं तो परसों करें, कल करें या चाहे जब करें। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये कोई अधिकार नहीं है कि अमुक समय के लिये ही बैठें। तो क्या ६ बजे तक बैठें?

श्री हिम्मतसिंह—हमारे और भी प्रोग्राम हैं।

श्री अध्यक्ष—और प्रोग्राम इस बात से ज्यादा इम्पोर्टेन्ट नहीं हैं।

श्री मानसिंह—यह तो सुबह भी....

श्री अध्यक्ष—Then the House is adjourned for tomorrow.

(सदन की कार्यवाही सायं ५.१० बजे दिनांक २४ अक्टूबर, १९५६ के ११.०० बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२३ अक्तूबर, १९५६।

मंसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १७४ का उत्तर देखिये)

१ जनवरी, १९५६ के बाद काश्त के लिये नई भूमि दिये जाने वाले किसानों की सूची:—

क्रम संख्या	नाम मौजा	नाम आसामी	नई भूमि जो काश्त के लिये दी गई	इसके अलावा आसामी के पास पहले कितनी भूमि थी
१	२	३	४	५
१.	लाम्बा	जगन्नाथ वल्द गोपाल व रुगनाथ वल्द गोपाल जाट	१३	.
२.	ल म्बाँ	राधाकिशन वल्द हरनाथ	११॥	..
३.	लाम्बां	नारायण वल्द रामाजाट	१८॥,२	..
४.	लाम्बां	कल्यान वल्द सुरपा जाट	१९॥।,१	६।
५.	मंडोती	हीरा वल्द गगाराम बलाई		..
६.	चौसला	नारायण वल्द सुलतान व रामकिशन वल्द सुलतान राणा	३०॥।,४	११,२
७.	कटसूरा	रामलाल वल्द श्रवण जाट	५	१८॥।,३
८.	कटसूरा	भागोरता वल्द हरलाल जाट	५	२१,२
९.	कटसूरा	हरकरण वल्द गोपाल जाट	७	....
१०.	कटसूरा	भागोरथा वल्द बख्तावर व भोमा वल्द गोपाल जाट	१५	.....
११.	लाम्बा	रामा वल्द धन्ना चमार	२६॥,२	
१२.	लाम्बा	छोगा वल्द धन्ना चमार	२६।,१	.
१३.	लाम्बा	कालू वल्द रामा चमार	२५॥।	..
१४.	लाम्बा	छोगा वल्द कालूजाट	१०	२२,४
१५.	लाम्बा	मांगू-हरजी वल्द बालू चमार	५	२५
१६.	लाम्वा	लादू वल्द मांगू जाट	१५	२६॥।,३
१७.	झीरोता	सूजा वल्द सुखदेव जाट ..	५	..
१८.	अलमावा	पाबूदान वल्द जगन्नाथ रेवारो	६	४।,१
१९.	आंकोडिया	बिरदा वल्द मांगू बलाई	१०	२२।,२
२०.	माला	बिरदा वल्द देवा गूजर	१५	..
२१.	गांगूंदा	हरदेव वल्द सोनाथ जाट	१९,२	..
२२.	गांगूंदा	लादूराम वल्द कल्याण मल, लादूरलाल वल्द छोगालाल, कल्ला वल्द रामकिशन जाट, श्री बक्ष वल्द नाथव घीसा वल्द बिरदा ..	२४,४	..

१	२	३	४	५
२३.	गागूंदा	सुवा वल्द हरदेव जाट ..	१५	..
२४.	अराई	भोमा वल्द सोराम भोल	१०	
२५.	दादिया	हीरा वल्द भागीरथा जाट व सूरजमल गोदारा	४०	
२६.	सिरूंज	पांचू वल्द नारायण बलाई ..	१०	
२७.	सिरुंज	तेजमल-चोथमल मतायन-सिरूंज ..	१०	
२८.	सिरूंज	नाथू वल्द नन्दा जाट	५	
२९.	कटसुरा	नन्दा वल्द गंगाराम जाट ..	४	३,३
३०.	कटसुरा	लाला डांगीलाल	१५	६,९
३१.	लाम्बा	भैरां-बालू चमार ..	३४।,१	
३२.	लाम्बा	हरचन्दा वल्द हरलाल चमार ..	१५	३
३३.	मदनपुरा	सुगना वल्द भूरा खाती, रामधन वल्द महादेव ाह्मण व माधू ..	३.१३,१२	
३४.	दादिया	प्रताप माली	१२	.
३५.	चौसला	रुगनाथ वल्द नन्दराम अहीर	२७।।,४	
३६.	भीमोलाव	रामचन्द्र वल्द मोती नायक . ..	१५	..
३७.	भीमोलाव	हरजी वल्द झींता नायक	१०।।	..
३८.	भीमोलाव	पांचू वल्द गंगाराम नायक	११	
३९.	धोलपुरा	रामधन रामकृष्ण ब्राह्मण	१३।।,१	
४०.	लाम्बा	सूवा वल्द जगन्नाथ चमार .. .	१०	..
४१.	लाम्बा	रतना वल्द हरजी जाट लाम्बा . ..	१०	..
४२.	लाम्बा	ईसर चमार लाम्बा	१८,४	..
४३.	लाम्बा	१ छीतर माली लाम्बा, २ लादू	२०	
४४.	लाम्बा	रामा वल्द गणेश चमार लाम्बा ..	१०	.
४५.	लाम्बा	हरदेवा वल्द गिरधारी चमार लाम्बा ..	१०	..
४६.	लाम्बा	नीरता चमार लाम्बा	१०	..
४७.	लाम्बा	मोर्ड वल्द बालू चमार लाम्बा ..	१०	.
४८.	लाम्बा	बालू चमार लाम्बा	१०	..
४९.	लाम्बा	हीरा वल्द जवारा चमार	१५	..
५०.	लाम्बा	नोरता काना नायक	१०	..
५१.	लाम्बा	मोर्ड वल्द भूरा कुम्हार	१०	..
५२.	लाम्बा	लादू नोरंता चांदमल वल्द नन्दरूपा तेली	१९।।,४	..
५३.	लाम्बा	नारायण वल्द जवारा गूजर व लादू गूजर ..	३०	.
५४.	लाम्बा	भूरा वल्द पन्ना तेली, राम रीख वल्द भूरा	१०	७

१	२	३	४	५
५५.	लाम्बा	गोपाल-नारायण-छीतर गूजर १ २ ३	२४॥	३५ ३५
५६.	लाम्बा	नोरतमल भंवरलाल लाम्बा कल्याण	१७।,३	८॥।,२
५७.	लाम्बा	लादू वल्द हरलाल जाट मादु वल्द हरलाल	२० .	१५ १५
५८.	लाम्बा	हरचन्द धूकल मेणा . .	१४।.३	३४
५९.	गागून्दा	घीसालाल पुत्र फूलचन्द कोठारी .	२,१	.
६०.	मोठियाना	लदू पुत्र मीवडा चमार . .	२॥,४	५।,२
६१.	चौरूला	१-लाला पुत्र अहोर . . २—छोगा पुत्र नोदूराम . .	३५।	.
६२.	भामोलाव	१—भैरु पुत्र नाथू दरोगा २—सुगना पुत्र बख्तावर नायक . .	३०	. .
६३.	भारोलाव	होरा पुत्र बख्ता नायक	१०॥	. .
६४.	काकोडिया	१—लादू पुत्र गोपाल कुम्हार . . . . २—उगना पुत्र लादू	१०	. .
६५.	गोणियाना	१—छोगा जार इत्यादि ब्रजनन्दन २ रामकरण ३, लादू ४,मागू ५,छोगा ६, . .	४०	. .
६६.	अराई	१—रामनाथ पुत्र जवारा जाट २—भवाना पुत्र जवारा जाट	॥,३	
६७.	आकोडिया	जमना पुत्र घोसा जाट	१०	१८।,२
६८.	डांग	रामकरण रामचन्द्र जाट	५०॥	२१॥।,२
६९.	धामिया	लादू पुत्र वालू माली	८	. .
७०.	सिरूज	उममा पुत्र नाथू जाट	६	. .
७१.	धोलपुरा	हजारी पुत्र लादू जाट	५॥।,४	. .
७२.	धामिया	१—छीतर पुत्र मोडू जाट . . २—तेज पुत्र मोडू जाट	३११।	. . . .
७३.	डांग	रावार पुत्र मागू जाट	३०	. .
७४.	कठसुरा	१—मोधू २—रामनाथ	१०	. .
७५.	कठसुरा	तिलोक चन्द पुत्र लालचन्द	९॥	. .
७६.	सान्दोलिक	पूरा व मोडा पुत्र रामबक्ष जाट . .	२०	२५
७७.	कठसूरा	श्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाट . .	१०	१२।२
७८.	लाम्बा	सुगना वल्द रोड चमार मोगू वल्द हीरा चमार	१७॥	६०
७९.	मामोलाव	नारायण वल्द अजीया गूजर	१५	. .
८०.	मामोलाव	सोनाथ वल्द लक्ष्मण गूजर	१५	. .

१	२	३	४	५
८१.	मामोलाव	गोकल वल्द मादू माली	६,४	..
८२.	मामोलाव	छोटू वल्द गोपाल माली	९१,४	..
८३.	मामोलाव	गणेशा वल्द किसन बवाण	१५	..
८४.	मामोलाव	लोकरण वल्द विजा खटीक	१४,३	..
८५.	डांग	किवाण वल्द बालू	१२	..
८६.	आकोडिया	रामकरण वल्द कज माली	१०	२५१,२
८७.	दाधिया.	राधाकिशन-रमाती	३	१७
८८.	चौसला	किशन वल्द चोथमल कोठार	१८१,२	..
८९.	लाम्बा	सुगना वल्द माधू घासल	५	२०
९०.	लाम्बा	सूज्या वल्द लाला खूरडया	८१,४	३५
			१३५६१,१	५६९११,२

Page No 76

परिशिष्ट २

(राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९ ६ के खंड १० पर श्री भैरूंसिंह दांतारामगढ़ के संशोधन पर हुई मत गणना सम्बन्धी सूचियें)

क्रम संख्या	सदस्य नामावली

हाँ पक्ष ८

१. श्रीमती यशोदा देवी
२. श्री भैरोंसिंह दाता रामगढ़
३. श्री भोपालसिंह
४. श्री छोतरलाल शर्मा
५. श्री जगतसिंह झाला
६. रावत श्री मानसिंह
७. श्री नाथूसिंह
८. राव राजा सरदारसिंह

ना पक्ष २३

१. श्री बलवीरसिंह
२. श्री छगा
३. श्री चुन्नीलाल बिड़ला
४. श्री दामोदरलाल व्यास
५. ठा० श्री धर्मचन्द
६. श्री दुर्लभसिंह
७. श्री घीसीसिंह कटेला
८. श्री हंसराज जटिया
९. श्री रामरतन कोचर
१०. श्री जयेन्द्रसिंह
११. श्री चांदमल मेहता
१२. श्री मन्ना भील
१३. श्री मनफूलसिंह भादू
१४. मौलवी मोहम्मद इब्राहीम
१५. श्री नारायण लाल
१६. श्री राधाकृष्ण मारू
१७. श्री रिद्धीचन्द पालीवाल
१८. श्री सम्पतराम
१९. महाराज श्री शिवदानसिंह
२०. श्री श्रीदास गोयल
२१. श्री सोमावाला भील
२२. श्री सुगनचन्द जैन
२३. श्री तेजपाल

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक २३ अक्टूबर, १९५६

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
९६६	अंतिम पंक्ति	elays	delays
९७३	१४	श्री श्रीदयाज गोयल	श्री श्रीदास गोयल
९८४	२३	प्राइमरी स्कूस	प्राइमरी स्कूल्स
९९३, ९९६, ९९८ १००२, १००८	शीर्ष	सावजनोन	सार्वजनीन
१००१	,	हन्दू	हिन्दू
१००२	१६	व्य हारिक	व्यवहारिक
१००२	२६	(J dicial way)	(Judicial way)
१००६	८	सशोधन प्रस्ताव	संशोधन प्रस्ताव
१०१३	१४	कान्फेन्स थी	कॉन्फ्रेन्स थी